विद्युत प्रवाह

जनवरी–जून, 2024

ऊर्जा बचाओ, भविष्य बचाओ

सत्यमेव जयते

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

ज्ञान के प्रतीक : डॉ. भीमराव अम्बेडकर

सन् 1927 में, जब बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूके में पीएच.डी. की पढ़ाई करने गये तो वहाँ के पुस्तकालय में दीवार के ऊपर दो लाइनें लिखी हुई थीं:–

आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है।
महापुरुष पैदा होता है जो कभी नहीं मरता।।

बाबा साहेब ने, जो नीचे की लाइन थी उसे काली स्याही से काट दिया और वहां से चले गये। उसके बाद पूरे यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। प्रशासन की तरफ से उन्हें नोटिस मिल गया कि कल 12 बजे तक अपना स्पष्टीकरण दें, अगर स्पष्टीकरण गलत पाया गया तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। दूसरे दिन पूरा हॉल खचा–खच भरा हुआ था, यह जानने के लिए कि बाबासाहेब क्या स्पष्टीकरण देते हैं। बाबासाहेब आये और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ऊपर की लाइन बिल्कुल सही है कि ''आम आदमी पैदा होता है मर जाता है'' लेकिन दूसरी लाइन (महापुरुष पैदा होता है जो कभी नहीं मरता) से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा – ''महापुरुष पैदा होता है, अगर उसके विचारों को नष्ट कर दिये जाए तो वो भी मर जाता है।'' बाबासाहेब का स्पष्टीकरण सुनकर पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाने लगा। हाँ! महापुरुष की विचारधारा नष्ट कर दी जाए तो महापुरुष की मृत्यु हो जाती है, और बाबासाहेब के इस स्पष्टीकरण के बाद उस प्रथम लाइन के नीचे ''वही लाइन'' लिख दी गई जो बाबासहेब ने अपने स्पष्टीकरण में कही थी। बाबा साहेब को आज पूरा विश्व ''ज्ञान का प्रतीक'' (Symbol of Knowledge) मानता है।

मनोहर लाल
Manohar Lal

विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री
Minister of Power and Housing & Urban Affairs

सत्यमेव जयते

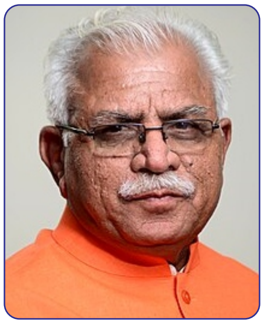

संदेश

यह हर्ष और गर्व का विषय है कि विद्युत मंत्रालय राजभाषा हिंदी की अपनी गृह–पत्रिका 'विद्युत प्रवाह' जनवरी–जून, 2024 अंक प्रकाशित करने जा रहा है।

राजभाषा हिंदी का प्रचार एवं सवंर्धन करना हमारा संवैधानिक दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने में पत्रिका का प्रकाशन करना प्रशंसनीय कार्य है। वर्तमान समय में हिंदी पूरे देश में सर्वाधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा है तथा यह अत्यंत खुशी की बात है कि आज न केवल कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में वृद्धि हुई है बल्कि सार्वजनिक जीवन में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी का प्रभुत्व बढा है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करना राजभाषा विभाग के प्रमुख दायित्वों में से एक है। कार्यालय में अधिकारियों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए विभागीय पत्रिकाएं उपयोगी मंच साबित होती है।

पत्र–पत्रिकाएं लोक–व्यवहार की समसामयिक महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करने का माध्यम होती हैं। आशा है कि हमारी 'विद्युत प्रवाह' नामक पत्रिका अपने प्रयोजन की दृष्टि से उत्तरोत्तर सफलता हासिल करेगी। कार्मिकों को भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा नित नए होने वाले राजभाषायी कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी।

मैं 'विद्युत प्रवाह' की मूर्धन्य सफलता की कामना करता हूँ और संपादक मंडल को बधाई देता हूँ।

(मनोहर लाल)

श्रीपाद येसो नाईक
Shripad Yesso Naik

विद्युत और नवीन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री
Minister of State for Power and
New & Renewable Energy

सत्यमेव जयते

संदेश

यह जानकार मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि विद्युत मंत्रालय की हिंदी की गृह पत्रिका 'विद्युत प्रवाह' जनवरी–जून, 2024 अंक प्रकाशित किया जा रहा है। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र के साथ–साथ विद्युत की सार्वभौमिक पहुंच को भी सुनिश्चित किया है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक टोले और प्रत्येक घर को विद्युत से जोड़ दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य आदि स्कीम के माध्यम से वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है। मुझे खुशी है कि हम लगातार विद्युत उत्पादन और वितरण क्षेत्र में उन्नत प्रयास कर रहे हैं।

साथ ही, विद्युत मंत्रालय राजभाषा हिंदी के उत्थान, पहचान एवं अस्मिता की उन्नति हेतु प्रयासरत है। वर्तमान में तकनीकी एवं संचार साधनों के सहज एवं सुलभ प्रयोग से विभिन्न देशों के बीच की भौगोलिक दूरियां लगभग मिट–सी गई हैं और संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बंध–सा गया है। इससे यह आशा की जा सकती है कि बढ़ते वैश्वीकरण के अनुसार सब भाषाओं का वैश्वीकरण होगा जिसमें हिंदी भाषा भी एक होगी।

मुझे आशा है कि 'विद्युत प्रवाह' के माध्यम से कार्मिकों की रचनात्मक ललक को तृप्ति प्राप्त होगी और उनकी अभिरूचि को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अनुवाद करके हिंदी में लिखने के बजाए, मौलिक रूप से हिंदी में लिखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और कार्यालयी भाषा की अभिवृद्धि होगी।

अंत में, मैं संपादक मंडल को बधाई देता हूँ और 'विद्युत प्रवाह' की सफलता की कामना करता हूँ।

(श्रीपाद येसो नाईक)

पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से.
सचिव
Pankaj Aggarwal, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001
Govt. of India, Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

प्रिय साथियो,

यह गौरव का विषय है कि विद्युत मंत्रालय अपनी गृह पत्रिका 'विद्युत प्रवाह' जनवरी–जून, 2024 अंक का प्रकाशन कर रहा है। हमारा देश सांस्कृतिक और भाषायी दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषायी संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गई थी और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं और अपनी समृद्ध इतिहास भी रखती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि को अपनाया।

किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब वह देश के जन–सामान्य से जुड़ी हो और प्रयोग करने में आसान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझते हों और जन–सामान्य में लोकप्रिय हो।

हिंदी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर, 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही राजभाषा हिंदी में आवश्यकता के अनुसार शब्दावली निर्माण, वर्तनी के मानकीकरण किए गए और सरकारी कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति अपनाई गई।

हिंदी देश के बहुसंख्यक समुदाय के व्यवहार की भाषा है, जो परस्पर संपर्क सेतु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुझे विश्वास है कि हम विद्युत उत्पादन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए राजभाषा प्रावधानों का अनुपालन पूरी सजगता एवं निष्ठा से करेंगे और राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में बहुमूल्य योगदान देंगे।

पंकज अग्रवाल

(पंकज अग्रवाल)

श्रीकांत नागुलापल्ली, भा.प्र.से.
अपर सचिव
Srikant Nagulapalli, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001
Govt. of India, Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001

सत्यमेव जयते

संदेश

प्रिय साथियो,

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि विद्युत मंत्रालय अपने कार्मिकों की रचनात्मक क्षमता की अभिवृद्धि करने एवं मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से 'विद्युत प्रवाह' जनवरी–जून, 2024 अंक का प्रकाशन कर रहा है।

इतिहास साक्षी है कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के लिए निज भाषा शक्ति स्रोत होती है। नई खोज, नया अन्वेषण तथा नए ज्ञान का सृजन और विकास निज भाषा में ही संभव है। हमारे समाज और संस्कृति को गति देने के साथ–साथ स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में भी हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो सभी राजकीय कार्यों अर्थात् सरकारी काम–काज में प्रयोग होती है।

मुझे आशा है कि पत्रिका के माध्यम से कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच मिलेगा तथा उनका सरकारी कार्य को मौलिक रूप से हिंदी में करने के प्रति रूझान बढ़ेगा।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को शुभकामनाएं।

(श्रीकांत नागुलापल्ली)

धीरज कुमार श्रीवास्तव
मुख्य अभियंता (प्रभारी राजभाषा)
Dhiraj Kumar Srivastava
Chief Engineer (In-charge OL)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली–110001
Govt. of India, Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि मंत्रालय का प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को केवल सांविधिक दायित्व मानकर कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि राजभाषा हिंदी में काम करते हुए हर कार्मिक गर्व महसूस कर रहा है।

भारत की संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष 'हिंदी दिवस' मनाया जाता है। हिंदी केवल हमारी अभिव्यक्ति की भाषा ही नहीं है, अपितु यह हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का भी प्रतिबिंब है। 'विद्युत प्रवाह' पत्रिका इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं का प्रकटीकरण है, जो हमारे सभी कार्मिकों में हिंदी के प्रति प्रेम एवं आस्था को दृढ़ करती है। इसके माध्यम से कार्मिकों की रचनात्मक दृष्टि और मौलिक रूप से हिंदी में लिखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।

यद्यपि यह मंत्रालय विद्युत से संबंधित प्रत्येक संकल्पनाओं, शोधों, खोजों की निगरानी करने के साथ–साथ यह विद्युत का भी शीर्ष निकाय है तथापि इस पत्रिका में विद्युत से संबंधित लेख भी पर्याप्त संख्या में समाविष्ट किए गए हैं। इस प्रकार, 'विद्युत प्रवाह' के माध्यम से लेखकों के प्रौद्योगिकीय ज्ञान के साथ–साथ हिंदी ज्ञान तथा लेखन कौशल भी परिलक्षित हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विषय वैविध्य के साथ 'विद्युत प्रवाह' पत्रिका 'गागर में सागर' को चरितार्थ करते हुए गुणी पाठकों का ज्ञानार्जन करने में सफल होगी।

विद्युत प्रवाह पत्रिका के नवीनतम अंक के प्रकाशन के लिए शुभकामनाएं।

(धीरज कुमार श्रीवास्तव)

सुशील कुमार
(सहायक निदेशक)

संपादकीय

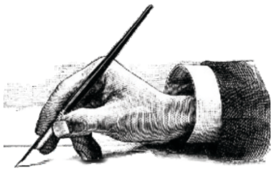

''है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी''।

– राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

भारत सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन देश है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास एक नए सिरे से ब्रिटेन के शासनकाल में, स्वतंत्रता–संग्राम के साथ–साथ और राष्ट्रीय स्वाभिमान की छाया में हुआ। हिंदी भाषा एवं अन्य प्रादेशिक भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता–संग्राम का चिंतन घर–घर तक पहुँचाया, स्वदेश प्रेम और स्वदेशी भाव की मानसिकता को सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम दिया, नवयुग के नवजागरण को राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय स्वशासन के साथ अंतरंग और अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया।

आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास की वाहिनी राजभाषा के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 सितंबर, 1949 के दिन बहस में भाग लेते हुए रेखांकित किया था कि यद्यपि अंग्रेजी से हमारा बहुत हित साधन हुआ है और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है तथा उन्नति की है, परंतु, ''किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता'' और ''कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती।'' उन्होंने मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा, ''भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में, जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए।''

डॉ. अंबेडकर भाषाई मामले को राष्ट्रीय चरित्र और कर्तव्य के रूप में परिभाषित करते हैं, "भाषा संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए सभी भारतीयों का यह भारी कर्तव्य है कि वे हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं।"

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने बहस में भाग लेते हुए हिंदी भाषा और देवनागरी का राजभाषा के रूप में समर्थन किया और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता देने के लिए अपील की। उन्होंने कहा, ''स्वतंत्र भारत के लोगों के प्रतिनिधियों का कर्तव्य होगा कि वे इस संबंध में निर्णय करें कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को उत्तरोत्तर किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए और अंग्रेजी को किस प्रकार त्यागा जाए।"

किंतु यह समझ से परे है कि 1949 से लेकर आज तक एक सर्वमान्य राजभाषा के संबंध में राष्ट्रीय सहमति का संकल्प क्षीण और शिथिल क्यों और कैसे हो गया? क्यों आज तक हम यथार्थ में शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी को साकार नहीं कर पाए? हमारी यात्रा अभी अधूरी है, मंजिल बहुत दूर और दुःसाध्य है, पर हमें हिंदी के लिए की गई प्रतिज्ञाओं का पाथेय लेकर चलते रहना है।

पाठकों और लेखकों से सविनय अनुरोध है कि विद्युत प्रवाह के आगामी अंक के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, ऐतिहासिक, भाषा–ज्ञान संबंधी या अन्य विषयों पर अपनी रचनाएं हमें भिजवाने की कृपा करें ताकि इसे और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक बनाया जा सके। सभी पाठकों और लेखकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

(सुशील कुमार)

विद्युत प्रवाह

(जनवरी–जून, 2024)

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

मुख्य संरक्षक

श्री श्रीकांत नागुलापल्ली, भा.प्र.से

अपर सचिव, भारत सरकार

संरक्षक

श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव

मुख्य अभियंता (प्रभारी राजभाषा)

मार्गदर्शक

श्री कर्म चन्द, निदेशक

संपादक

श्री सुशील कुमार, सहायक निदेशक

सहायक संपादक

श्री अंजल कुमार विनय, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

सुश्री रश्मि, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

संपादन सहयोग

राजभाषा प्रभाग, विद्युत मंत्रालय

पत्राचार का पता

विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली–110001

ई–मेल : hindi-power@nic.in

'विद्युत प्रवाह' पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं। विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अनुक्रमणिका

1. राजभाषा हिंदीः चुनौतियां एवं समाधान — 8
2. भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ–साथ राजभाषा में एआई की उपयोगिता — 10
3. हिंदी शब्दकोश में वर्णक्रम — 14
4. तापविद्युत संयंत्रों पर सामाजिक–आर्थिक निर्भरता तथा जस्ट ट्रांजिशन योजना : नई कौशल श्रृंखला के लिए कार्यक्षेत्र — 17
5. विश्व को भारत की देन — 20
6. विकसित भारत बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका — 22
7. शास्त्रीय भाषा — 24
8. नवीकरणीय ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा — 26
9. भारत में महिला सशक्तीकरण — 28
10. सालूर–डुंगराः हिमालय की गोद में स्थित विश्व का एक सांस्कृतिक धरोहर — 30
11. नीयत में खोट — 32
12. रोशनी....... बस जरूरी है — 34
13. मेट्रो : सुविधा और मर्यादा — 36
14. जगमगाती जीत — 38
15. जल तत्व — 39
16. शक्ति का प्रतिरूपः नारी — 40
17. गर्मी में बिजली रानी — 41
18. पत्थर दिल ईंसान — 42
19. मैं भ्रष्टाचार हूँ — 42

राजभाषा हिन्दीः चुनौतियाँ एवं समाधान

कर्म चन्द
निदेशक, विद्युत मंत्रालय।

संविधान सभा द्वारा लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जहाँ तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के विषय में बात की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी जिसकी लिपि देवनागरी होगी। आगे यह व्यवस्था दी गई है कि संघ के सरकारी कामकाज में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 343 (2) में यह कहा गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा का भी पहले की तरह प्रयोग किया जाता रहेगा। वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया जिसमें केवल 9 धाराएं है, जिनमें से धारा (2) को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, परन्तु अन्य 8 धाराओं को 26 जनवरी, 1965 से लागू किया गया।

इस अधिनियम की धारा (3) के अंतर्गत, यह व्यवस्था दी गई कि संघ के सरकारी प्रयोजनों और संसद में कार्यव्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद भी यथावत जारी रहेगा अर्थात् हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जारी रहेगा। जिस किसी राज्य में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उसके और संघ के बीच पत्राचार एवं अन्य सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाती रहेगी।

इस अधिनियम की धारा (4) (2) के तहत राजभाषा के संबंध में एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 लोक सभा एवं 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे अर्थात् कुल तीस सदस्य होंगे। माननीय समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के सरकारी कामकाज (राजकीय/शासकीय प्रयोजन) में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से हुई प्रगति की समीक्षा करेगी और उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे और सभी राज्य सरकारों को इसका प्रेषण करेंगे।

इस अधिनियम की धारा (5) के अनुसार केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा। धारा (7) के तहत व्यवस्था दी गई है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी और राज्य की राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जाता रहेगा।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत राजभाषा नियम, 1976 बनाया गया। इस नियम के अंतर्गत 12 उपनियम बनाए गए। राजभाषा हिंदी का प्रयोग कारगर ढंग से लागू करने के लिए सारे देश को तीन भाषिक क्षेत्रों अर्थात् ''क'' क्षेत्र, ''ख'' क्षेत्र एवं ''ग'' क्षेत्र का निर्धारण किया गया। ''क'' क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखण्ड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को रखा गया। ''ख'' क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली क्षेत्र रखे गए। ''ग'' क्षेत्र में ''क'' व ''ख'' क्षेत्र में दिए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्य रखे गए।

उपनियम 3 तथा 4 में यह व्यवस्था दी गई है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में असाधारण दशाओं को छोड़कर परस्पर पत्राचार हिंदी में होगा। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में लिखा जाता है, तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ–साथ भेजा जाएगा। ''ख'' क्षेत्र की राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से यदि कोई पत्राचार अंग्रेजी में किया जाता है तो उस पत्र का हिंदी अनुवाद भी साथ–साथ भेजा जाए जैसा कि 'क' क्षेत्र के संबंध में किया जाता है। किसी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को पत्र हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखा जा सकता है और मांगे जाने पर वांछित

भाषा में उसका अनुवाद दिया जा सकता है।

उपनियम 4 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच परस्पर पत्राचार हिंदी में होगा और हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 4 में उल्लिखित सभी दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रयोग किया जाए। जो अधिकारी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं, यह उनका दायित्व होगा कि उक्त दस्तावेज दोनों भाषाओं अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में तैयार तथा जारी किए जाते हैं।

उपनियम 7 के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपनी अपील/अभ्यावेदन (रिप्रजेंटेशन एवं अपील) हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी, हिंदी या अंग्रेजी अर्थात् दोनों भाषाओं में लिखी जा सकती है, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दूसरी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करेगा। केन्द्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी के किसी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद मांग सकता है बशर्ते कि वह दस्तावेज तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं।

हिंदी की जानकारी को दो स्तरों में विभाजित किया जाता है। प्रथम स्तर प्रवीणता है। यदि किसी कार्मिक ने हिंदी माध्यम से मैट्रिक अथवा समतुल्य परीक्षा पास की है अथवा स्नातक की परीक्षा या समतुल्य परीक्षा हिंदी स्तर पर हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा है, अथवा वह स्वयं यह घोषणा करता है कि वह हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उस कार्मिक को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा। यदि किसी कार्मिक ने मैट्रिक अथवा समतुल्य स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्राज्ञ परीक्षा पास की है या वह स्वयं यह घोषणा कर दे कि उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, तो उस कार्मिक को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिक माना जाएगा।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाएगा। उपनियम 12 के अनुसार यह प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि अधिनियम कि धारा (2) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाए और इस प्रयोजन हेतु जांच के उपयुक्त और कारगर उपाय किए जाएं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत लागू किए गए प्रावधानों के बावजूद आज हमारे सामने यह चुनौती है कि हिंदी को व्यवहार में जो स्थान मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके कई कारण जानकारी में आते हैं। इनमें से एक मुख्य कारण– सरकार की राजभाषा नीति भी है। इसके कारण ही हिन्दी का सरकारीकरण हुआ है और वह मात्र अनुवाद की भाषा बनकर रह गयी है। सरकार जिस रूप में हिन्दी को लाने और लागू करने की कोशिश कर रही है, वह भाषाओं के स्वाभाविक विकास प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। अतः हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हिंदी को अनुवाद की भाषा न बनाकर उसे मौलिक रूप में प्रयोग करने की आदत डाले अर्थात् मूल रूप में हिंदी में कार्य करने की निरंतर कोशिश करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम थोड़े से प्रयास से ही हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत भाषा के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी आदि अपने देश की भाषा में ही काम करते हैं और इस पर गर्व करते हैं।

प्रायः देखने में आता है कि कार्मिक अपने कामकाज में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हिंदी को आगे बढ़ाने में कठिनाई महसूस होती है। अतः यह परम आवश्यक है कि हम हिंदी में सामान्य बोलचाल की भाषा तथा सामान्य शब्दों का प्रयोग करें जिससे पाठक हमें आसानी से समझ सकें और हिंदी की लगातार बढ़ोतरी तथा विकास हो सके।

आज की पीढ़ी, हिंदी भाषा को पढ़ने में शर्म महसूस करती है और अंग्रेजी में व्यावहारिक निपुणता नहीं है। फलस्वरूप, वे हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं। हमें हिंदी को बनाए रखने और इसके विकास के लिए इसी लोकभाषा को अपनाना होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी मानना था कि हमें हिंदी को इतना सरल बना देना है कि मजदूर और दार्शनिक परस्पर बातचीत कर सकें। हिंदी में काम करते समय इसे ध्यान में रखना होगा कि आज भी भारतीय जनमानस अंग्रेजी भाषा न बोलता है, न समझता है। अतः हिंदी हमारी जरूरत है। अपनी भाषा अपनाने में संकोच का अर्थ है कि हम खुद को ही हेय दृष्टि से देख रहे हैं। वे लोग मिट जाते हैं जो स्वयं से घृणा करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपनी मातृभाषा/ राष्ट्रभाषा/राजभाषा से प्रेम नहीं, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हिंदी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक स्थान बना लिया है। यदि हम मिलकर प्रयास करेंगे तो निःसंदेह एक दिन हिंदी विश्वभाषा होने का गौरव हासिल कर लेगी। मेरा सहयोग आपके साथ है, आपका सहयोग अपेक्षित है।

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ-साथ राजभाषा में ए. आई. की उपयोगिता

डॉ. देवेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
एनएचपीसी लिमिटेड, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) क्या है?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता।
- इसके जरिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक **जॉन मैकार्थी** के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात् यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।
- यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग

- कंप्यूटर गेम–Computer Gaming
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण–Natural Language Processing
- प्रवीण प्रणाली–Expert System
- दृष्टि प्रणाली–Vision System
- वाक् पहचान–Speech Recognition
- बुद्धिमान रोबोट–Intelligent Robot

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार

- पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक (Purely Reactive)
- सीमित स्मृति (Limited Memory)
- मस्तिष्क सिद्धांत (Brain Theory)
- आत्म–चेतन (Self Consciousness)

सरकार दे रही बढ़ावा

राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

वर्तमान बजट में सरकार ने फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप के लिये 480 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3 D प्रिंटिंग और ब्लॉक चेन शामिल हैं।

इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव

संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

राजभाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता

वर्ष 2023 के फरवरी माह में फिजी में संपन्न 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय अपने आप में आश्चर्यजनक और कौतुहल पैदा करने वाला था। इस बार की थी –**"हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक"**। विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले अधिकांश प्रतिभागियों को इस विषय को लेकर बड़ी हैरानी हुई कि हिंदी और कृत्रिम मेधा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के बीच क्या संबंध हो सकता है। चैट जीपीटी (Chat GPT) नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग ने पूरी दुनिया का ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता की आश्चर्यजनक शक्तियों की ओर खींचा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, बुद्धिमत्ता को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ताकि मशीनों को बुद्धिमत्ता के प्रसंग में, मनुष्यों की तरह व्यवहार करने के लिए बनाया जा सके। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते है, की उत्पत्ति वर्ष 1950 में हुई थी। जॉन मैकार्थी पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसा कोई शब्द बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें एआई (AI) का जनक माना जाता है। यह कंप्यूटर को एक इंसान के रूप में सोचने, समझने और प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है साथ ही डेटा को इनपुट्स और कमांड के रूप में विकसित करके प्रदर्शन किया जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए सहायता प्रदान करने में हमारी मदद कर रहा है:

- **शिक्षा के क्षेत्र में** –यह शिक्षा के साथ तेजी से सीखने के विभिन्न तरीकों के साथ ऊपर उठने में मदद करता है और बिना किसी गलती के अधिक मात्रा में डेटा संकलित करता है।
- **चिकित्सा क्षेत्र में**– यह विभिन्न तरह के निदान के लिए डेटा व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है। किसी तरह के प्रयास की उम्मीद किए बिना यह विभिन्न रोगियों का विवरण प्राप्त कर, आगे चलकर किसी भी बीमारी से संबंधित प्रश्नों या रोगियों की काउंसलिंग के बारे में चर्चा के लिए एक सामान्य मंच साबित करने में मदद करता है। रूटीन चेकअप की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अन्य कई उपकरण भी उपलब्ध हैं। दैनिक गतिविधियों में भी यह बहुत उपयोगी है, साथ ही, अनुसंधान और विकास क्षेत्र को बहुत सहायता प्रदान करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राजभाषा– आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को बुद्धिमान बनाती है। इसके साथ–साथ मशीनें सीखने,योजना,तर्क और समस्या को हल करने जैसे कार्य करती हैं। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग बहुत से क्षेत्रों में किया जा रहा है जैसे कि विज्ञान, चिकित्सा, वित्तीय, विपणन, व्यापार इत्यादि।

यूनिकोड पैरामीटर का व्यापक रूप से औद्योगिक दुनिया द्वारा बहुभाषी सॉफ्टवेयर के विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यूनिकोड मापदंडों में इंडिक लिपियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संकाय टीम का सदस्य है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यूनिकोड मापदंडों में परिवर्तनों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे पैरामीटर में शामिल करने के लिए यूनिकोड तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। यूनिकोड की विनिर्देश नीति के अनुसार अर्हता प्राप्त प्रस्तावित परिवर्तनों को यूनिकोड पैरामीटर संस्करण 4.0 में शामिल किया गया है। अन्य भाषाओं/लिपियों जैसे लेपचा आदि को भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) देश के लगभग सभी

मंत्रालयों/विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिए जिम्मेदार है। समिति द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार एनआईसी द्वारा लगभग सभी मंत्रालयों/ विभागों की वेबसाइट तैयार की जा रही हैं। वेबसाइट से संबंधित सामग्री मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की जाती है और वेबसाइट एनआईसी द्वारा तैयार की जाती है। द्विभाषी रूप में वेबसाइट तैयार करने के लिए एनआईसी के पास प्रशिक्षित कर्मी है और इस दिशा में नवीनतम द्विभाषी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मंत्रालय/विभाग वेबसाइट के विकास के लिए निर्देश और सूचना सामग्री, आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। राजभाषा विभाग और कुछ अन्य विभागों की वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी हैं, जैसे कि– कोयला मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय एवं अन्य। ईआरनेट (ERNET) इंडिया, भारत सरकार की एक संस्था है जो इंटरनेट के माध्यम से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करती है। यह ''क'' क्षेत्र में हिंदी में प्रशिक्षण प्रदान करता है और अन्य क्षेत्रों में यह स्थानीय भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ईआरनेट इंडिया द्वारा स्थानीय भाषाओं के साथ प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण भी हिंदी में होने चाहिए ताकि हिंदी जानने वाले छात्र भी उनसे लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार डीओईएसीसी (DOEACC) (Department of Electronics and Accreditation of Computer Courses), ओएबीसी स्तर (OABC Level) का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ट्रिपल सी (CCC) और ओ (O) स्तर के उपर्युक्त प्रशिक्षण की केवल पाठ्‌क्रम सामग्री का हिंदी में अनुवाद किया गया है और वह भी छात्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इनके साथ अन्य सामग्री को भी जल्द से जल्द हिंदी में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी–डैक, C-DAC), मुख्य रूप से उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित समाधानों के डिजाइन, विकास और तैनाती में शामिल एक आर एंड डी संस्थान है। संस्थान द्वारा डिजाईन किये गए कुछ स्पेशल प्रोग्राम इस प्रकार हैं।

लीला–LILA: Learning Indian Language through Artificial Intelligence आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारतीय भाषा सीखना। ये इंटेलिजेंट सेल्फ–ट्यूटरिंग सिस्टम हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी सीखने के लिए किया जा सकता है।

मंत्रा–MANTRA: Machine Assisted Translation Tool मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल मंत्रा व्यक्तिगत प्रशासन के एक निर्दिष्ट डोमेन में अंग्रेजी पाठ का हिंदी में अनुवाद करता है, विशेष रूप से राजपत्र अधिसूचनाएं, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र।

सारांशक–SARANSHAK: (the summarizer) सारांशक (सारांशकर्ता): एक प्राकृतिक भाषा आधारित सारांशक है।

'वाचांतर–VACHANTAR: वाचांतर एक भाषण–से–पाठ अनुवाद प्रणाली है। उपयोगकर्ता उपयुक्त इनपुट डिवाइस यानी एक माइक्रोफोन के माध्यम से एप्लिकेशन के साथ संवाद करता है। फिर यह मूल हिंदी पाठ में आउटपुट उत्पन्न करता है।

'कंठस्थ– तुरन्त अनुवाद की कंठस्थ की विशेषता इस तरह है कि यदि प्रयोगकर्ता फोल्डर आदि नहीं बनाना चाहता तो इस बटन के द्वारा सीधे ही फाइल का अनुवाद कर सकता है। इसके लिए प्रयोगकर्ता स्क्रीन पर बने बॉक्स में अपनी विषय–वस्तु लिखे अथवा कॉपी करे और एडिटर वाले बटन पर क्लिक करें। फाइल एडिटर में खुल जाती है और वहां से तुरन्त अनुवाद प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार ''कंठस्थ'' स्क्रीन पर कोई प्राप्त सूचना, संदेश, प्रेषित फाइल के बारे में अद्यतन जानकारी लेने के लिए नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। फाइल किसी

के साथ शेयर करने का विकल्प भी आन्तरिक नेटवर्क या ईमेल के द्वारा किया जा सकता है। शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी लिखकर भेजा जा सकता है। स्थानीय और वैश्विक टी.एम. के निर्माण के अन्तर्गत वाक्यों को उनके अनूदित रूप के साथ क्रमबद्ध ढंग से सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सके। कंठस्थ विभिन्न फाइल–एक्सटेंशन का समर्थन करते हुए लगभग सभी फाइलों के स्वरुप से इनपुट लेकर उनका अनुवाद करने की क्षमता भी रखता है। राजभाषा विभाग द्वारा सी–डैक के माध्यम से "मेमोरी आधारित टूल–कंठस्थ" का निर्माण करवाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन "आत्मनिर्भर भारत तथा स्थानीय के लिए मुखर हो (लोकल फॉर वोकल)" से प्रेरणा लेते हुए इस टूल को आधुनिक सुविधाओं (जैसे न्यूरल मशीन अनुवाद, वायस टाइपिंग आदि) के साथ और अधिक उन्नत करने के उद्देश्य से इसका नवीन संस्करण कंठस्थ 2.0 विकसित किया गया है। यह टूल केंद्र सरकार के कामकाज में अत्यधिक मात्रा में नियमित आधार पर किए जाने वाले अनुवाद कार्य में लगने वाले अतिशय मानव संसाधन और समय को बचाने में उपयोगी साबित होगा। दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, सूरत में कंठस्थ 2.0 का लोकार्पण माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा किया गया।

'अन्वेषक–ANVESHAK: (Quester) अन्वेषक एक प्राकृतिक भाषा आधारित सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली है जो एक निश्चित दस्तावेज पर पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए प्राकृतिक भाषा पाठ में कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से स्पष्ट जानकारी प्रदान कर सकती है।

इस प्रकार लीला के माध्यम से संवादात्मक तरीके से हिंदी सीखने, लीप ऑफिस जैसे पैकेजों के उपयोग के माध्यम से हिंदी में मूल पाठ निर्माण, मंत्र के माध्यम से मौजूदा जानकारी का अनुवाद, सारांश के माध्यम से सारांश, वाचांतर–राजभाषा का उपयोग करके आवाज माध्यम से सामग्री निर्माण और अन्वेषक के माध्यम से सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं।

एआई चैटबॉट चैटजीपीटी: (Chat Generative Pre & Trained Transformer) ने हिंदी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में जवाब देने की क्षमता हासिल कर ली है। यह नई सुविधा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों को अपने कार्यों के लिए अपनी पसंदीदा भाषा में एआई चैटबॉट का उपयोग करने की अनुमति देती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चैट जीपीटी वर्तमान में केवल सीमित संख्या में भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, उनमें से सभी नहीं। GPT–3.5 भाषा मॉडल पर आधारित Chat GPT- केवल 2021 में कहीं अपनी प्रशिक्षण तिथि के अंत तक जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्राउज करने में सक्षम है।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी के स्थाई भविष्य को सुनिश्चित कर सकती है। यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट में में कहा था कि दुनिया की 7200 भाषाओं में से लगभग आधी इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी, अगर हम हिंदी को विलुप्त होने वाली इन भाषाओं की सूची में नहीं देखना चाहते तो हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता को खुले दिल से अपनाना चाहिए। वजह यह कि यह प्रौद्योगिकी भाषाओं के बीच दूरियों समाप्त करने में सक्षम है। आज हम अंग्रेजी की प्रधानता से त्रस्त हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा दूसरी आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अंग्रेजी के दबदबे से मुक्त होने में हमारी मदद कर सकती है।

हिंदी शब्दकोश में वर्णक्रम

अंजल कुमार विनय
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
विद्युत मंत्रालय।

शब्दकोशः एक ऐसी सूची या ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा आदि का सन्निवेश होता है, उसे शब्दकोश कहा जाता है। ये एकभाषी (हिंदी से हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी आदि), द्विभाषी (हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी आदि) या बहुभाषी (हिंदी से हिंदी व अंग्रेजी, अंग्रेजी से अंग्रेजी व हिंदी आदि) हो सकते हैं।

हिंदी शब्दकोश निर्माण की पृष्ठभूमिः

हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के "द्विवेदी युग" से लेखन में गद्य शैली का विकास हुआ, इससे पूर्व लेखन में पद्य शैली की प्रधानता थी, तब हमारे पास कोई प्रमाणिक शब्दकोश नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास एवं प्रचार को लक्षित करके कई संस्थानों का उद्भव हुआ जिसमें "काशी नागरी प्रचारिणी सभा" एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरी। राष्ट्रभाषा "हिंदी" और राष्ट्रलिपी "नागरी" के प्रचार–प्रसार के राष्ट्रीय उद्दश्यों के लिए इस संस्था की स्थापना वर्ष 1893 में काशी (वाराणसी) में हुई थी । नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से एक बृह्द शब्दकोश का निर्माण भी था।

19वीं सदी के अंत में नागरी प्रचारिणी सभा के विद्वान एवं हिंदी के प्रति समर्पित सदस्यों ने एक कारगर योजना के रूप में हिंदी के शब्दों को संग्रह करने का बीड़ा उठाया। वर्ष 1900 से 1920 के बीच सभा के सदस्यों ने गाँव, कस्बा, शहर आदि जाकर शिक्षित, श्रमिक, किसान, दुकानदार, भिन्न–भिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ समय व्यतीत कर शब्दों का संग्रह किया। लोकाचार या बोलचाल के शब्द, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का चयन किया गया। इसके साथ–साथ प्राचीन हिंदी काव्यों का पुनर्पाठ किया गया। इस प्रकार, 20 वर्षों के अथक प्रयत्नों के उपरांत वर्ष 1922 में "हिंदी शब्द सागर" नामक एक शब्दकोश बनकर तैयार हुआ जिसमें लगभग एक लाख शब्द थे। "हिंदी शब्द सागर" को हिंदी में प्रथम सुव्यवस्थित शब्दकोश का स्थान प्राप्त है। इसके प्रथम संस्करण में केवल चार प्रतियाँ छपी थीं। हिंदी के इस पुनित यज्ञ में बाबू श्यामसुंदर दास, प्रधान सम्पादक के रूप में एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पं. बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवानदीन आदि ने सहायक सम्पादक के रूप में समिधाएं अर्पित कीं। तत्पश्चात् नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी विश्व कोश, वैज्ञानिक शब्दावली अदि का भी प्रकाशन किया। हिंदी विश्व कोश 12 खण्डों में प्रकाशित है। वर्तमान में 400 से अधिक हिंदी शब्दकोश की रचना हो चुकी है।

हिंदी शब्दकोश में वर्णक्रम

- कोश का मुख्य उद्देश्य इसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ व्यक्त करना है। अतः कोश के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रविष्टि (ENTRY) कहा जाता है। कोश में प्रविष्टियां स्रोत भाषा की मान्य लिपि के वर्णों के क्रम के अनुसार की जाती है तथा प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हाशिए में बाईं एवं दाईं ओर सूचक शब्द (INDEX WORD) रखे जाते हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि कतिपय पृष्ठ पर बाईं ओर के सूचक शब्द से लेकर दाईं ओर के सूचक शब्द की प्रविष्टियां हैं।
- वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण की संख्या 11 और 41 व्यंजन वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला की शुरूआत स्वर वर्ण से होती है फिर व्यंजन वर्ण का स्थान आता है।

स्वर वर्ण: अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ एवं ऋ।

व्यंजन वर्ण: क ख ग घ ङ (कवर्ग),

च छ ज झ ञ (चवर्ग),

ट ठ ड ढ ण (टवर्ग),

त थ द ध न (तवर्ग),

प फ ब भ म (पवर्ग),

य र ल व (अंतःस्थ),

श ष स ह (उष्म),

क्ष त्र ज्ञ श्र (संयुक्त व्यंजन),

अनुस्वार (•), विसर्ग (:) एवं ड़, ढ़ (द्विगुण व्यंजन)।

इस प्रकार, कोश में अक्षरों का वही क्रम रखा जाता है जो वर्णमाला का होता है। इसके अलावा हिंदी शब्दकोश में कुल 10 मात्राएं ('क' के साथ जैसे– क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ) एवं अनुनासिक (ँ) आदि वाले शब्दों का भी सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाता है। शब्दकोश में वर्णक्रम के अनुसार शब्दों की प्रविष्टि को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे–अटल, आशीर्वाद, इंद्र, उच्चारण, कमल, गुरुकुल, तीरंदाजी, निराकार, पंकज, यात्रा, राजपत्रित, लोकप्रिय, विमोचन, सरस्वती, हरीतिमा आदि।

वर्णक्रम से संबंधित कुछ विशेष तथ्य:

शब्दकोश में शब्दों की शुरुआत स्वर वर्ण से शुरू होने वाले शब्द से होती है। स्वर एवं व्यंजन के अलावा हिंदी शब्दकोश के वर्ण क्रम में कुछ महत्वपूर्ण संलग्नकों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे–अनुस्वार, अनुनासिक, अर्धवर्ण (संयुक्त अक्षर) आदि। जैसे "क" से शुरू होने वाले इन शब्दों को देखें– कंचन, कँटीली, कक्षा, करवट, कर्क, कलह, कल्पना, कौशल क्यारी, क्रंदन, क्रम, क्लेश, क्षण, क्ष्मा (पृथ्वी)। स्पष्ट है कि सभी शब्दों का प्रथम अक्षर "क" है, परंतु इसमें मात्राएं, अर्धवर्ण, अनुनासिक, अनुस्वार आदि जुड़ने से शब्दकोश में इन शब्दों के क्रम परिवर्तित हो जाते हैं। अतः शब्दकोश में वर्ण क्रम के साथ–साथ इन संलग्नकों को क्रमानुसार स्थान दिया गया है।

अनुस्वार: हिंदी शब्दकोश में शब्दों की शुरुआत सर्वप्रथम अनुस्वार युक्त शब्द से होती है। जैसे– कंकड़, कंचन, कंद, कंपन आदि

अनुनासिक: अनुस्वार के बाद अनुनासिक का स्थान आता है। जैसे– कँटीला, कँपकपी आदि।

सामान्य वर्ण वाले प्रथम अक्षर: अनुस्वार एवं अनुनासिक के पश्चात सामान्य वर्ण की शुरुआत होती है। जैसे– कई, ककड़ी, ककहरा, कक्षा, कगार, करवट, कर्क। यहाँ सभी शब्दों का पहला वर्ण "क" है तथा दूसरे वर्ण में वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले स्वर आया है फिर व्यंजन का। जैसे– कई (स्वर) के बाद ककहरा (व्यंजन)।

मात्रा के साथ शुरुआत: मात्राएं 10 होती हैं। उपर्युक्त नियमों के उपरांत (आकर) मात्रा वाले शब्द की प्रविष्टि होती है। मात्रा वाले शब्द की भी शुरूआत अनुस्वार से होती है। तदुपरांत अनुनासिक की। जैसे–कांति, काँसा आदि। इसके बाद काम, काली, काल्पनिक, किंतु, कितना, कीमत, कुंजी, कुआं, केंद्र, केवल, कैंची, कोटि, कौशल आदि।

अर्ध वर्ण (संयुक्त वर्ण): अर्ध वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को अंतिम मात्रा के बाद उस वर्ण के अंत में रखा जाता है। इसे "क" के उदाहरण से समझें। "क" की अंतिम मात्रा कौ होती है। "क" से शुरू होने वाले अंतिम मात्रा वाले शब्द क्रमानुसार हैं– कौआ, कौड़ी, कौतूहल, कौर, कौशल आदि। अतः अर्धवर्ण वाले शब्द क्यारी (क्+य), क्रम (क्+र), क्लीव (क्+ल) आदि की प्रविष्ट "कौशल" के बाद होगी। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी यह नियम यथावत लागू होंगे।

संयुक्त व्यंजन (क्ष, त्र, ज्ञ एवं श्र) तथा (्र) संबंधी नियम: क्ष (क्+ष), "क" का संयुक्त अंश है। अतः इसे "क"

वाले शब्दों के अंत में रखा गया है। जैसे– क्षण, क्षमा, क्षति आदि शब्दों की प्रविष्ट "क" के अंत में होती है। तदनुसार, त्र (त्+र) की प्रविष्ट "त" के अंत में होती है। जैसे– त्रय, त्रस्त, त्राहि, त्रिकोण आदि को त+य से बने शब्द के बाद रखा जाता है। ज्ञ (ज्+ञ), 'ज' का संयुक्त अंश है जिसकी प्रविष्टि 'जौ' (अंतिम मात्रा) से निर्मित शब्दों के बाद होती है। जैसे– ज्ञातव्य, ज्ञान, ज्ञापन आदि शब्द जौहरी के बाद आते हैं। "श्र" (श्+र) को शब्दकोश में "श" के सबसे अंत में रखा जाता है क्योंकि श्र, श का ही संयुक्त भाग है। जैसे– श्रम, श्रवण, श्रीमती, श्रेणी आदि को शौर्य, शौहर के बाद रखा जाता है। (ृ) से प्रारंभ होने वाले शब्दों की प्रविष्टि उस शब्द के दीर्घ उकार (ू) शब्द के बाद की जाती है। जैसे– तूस के बाद तृण, तृतीय आदि, पूस के बाद पृथक्, पृथ्वी, पृष्ठ आदि, दूसरा के बाद दृश्य, दृष्टि आदि।

इसी प्रकार, अन्य वर्णमाला में भी इन नियमों का अनुपालन किया जाता है। अतः उपर्युक्त नियमों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति हिंदी शब्दों को कोश में भली–भाँति खोज सकता है। सारगर्भित रूप से हिंदी शब्दकोश में वर्णों की अन्विति इस प्रकार होती है–

स्वर: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ एवं औ

व्यंजन: क, क्ष, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, ष, स एवं ह।

संविधान में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

अनु. 351 : संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अष्टम अनुसूची (अनुच्छेद 344(1) और 351) में भाषाएं

1. असमिया	2. उड़िया	3. उर्दू	4. कन्नड़	5. कश्मीरी	6. गुजराती	7. तमिल	8. तेलगू
9. पंजाबी	10. बंगला	11. मराठी	12. मलयालम	13. संस्कृत	14. सिंधि	15. हिंदी	
16. मणिपुरी	17. नेपाली	18. कोंकणी	19. मैथिली	20. संथाली	21. बोडो	22. डोगरी	

तापविद्युत संयंत्रों पर सामाजिक-आर्थिक निर्भरता तथा जस्ट ट्रांजिशन योजना:नई कौशल श्रृंखला के लिए कार्यक्षेत्र

प्रीतम सिंह, उपनिदेशक (तकनीकी),
एनपीटीआई कॉरपोरेट कार्यालय।

भारतीय विद्युत प्रणाली के नेट जीरो 2070 के विजन के साथ नेट जीरो से तात्पर्य विद्युत क्षेत्र में कार्बन को कम करने के लिए कोयला, तेल, गैस के उपयोग को बड़ी मात्रा में कम करने से है।

जस्ट ट्रांजिशन शब्द को अमेरिकी श्रम और पर्यावरण कार्यकर्ता **टोनी मैजोची** द्वारा गढ़ा गया है। जस्ट ट्रांजिशन का सिद्धांत एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और एक स्वच्छ पर्यावरण से है जो सह–अस्तित्व में रह सकते हैं और रहना भी चाहिए। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। इसकी लागत श्रमिकों या समुदाय के निवासियों, उनके स्वास्थ्य, पर्यावरण, नौकरी और आर्थिक संपत्तियों पर नहीं पड़नी चाहिए।

भारत में फरवरी, 2020 में प्रस्तुत वार्षिक बजट में यूटिलिटीज को उन पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को बंद करने की सलाह दी गई, जिनका कार्बन उत्सर्जन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, कुल 1,66,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता के कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों को बंद करना होगा। लेकिन कोयले का यह ट्रांजिशन संभावित रूप से भारत के कोयला बेल्ट में कोयले से आय/निर्वाह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले कई लाख लोगों की आजीविका को खतरे में डालेगा।

भारत में ट्रांजिशन की कायापलट प्रक्रिया के लिए विरासती अनुबंधों (पीपीए) पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसमें अपर्याप्त, अत्यधिक प्रदूषणकारी पुराने कोयला संयंत्रों को बंद कर उनके अधिशेष को राज्य की जरूरतों के लिए वित्तपोषित किए जाने की संभावना भी शामिल है। इसके कई सह–लाभ होंगे, यद्यपि इसका मतलब यह भी है कि इससे प्रभावित श्रमिकों और समुदायों के साथ–साथ स्वतंत्र उत्पादकों, डिस्कॉम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

जस्ट ट्रांजिशन का एक तात्पर्य स्मार्ट और अधिक स्थानीयकृत ऊर्जा प्रणालियों से भी है।

एसएलईएस (Smart Localised Energy System) की ओर बदलाव नई ऊर्जा प्रणाली कार्यों की एक श्रृंखला से जुड़ा है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी एवं ग्रिड संतुलन सेवाओं के लिए नई स्मार्ट प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन, एआई या मशीन लर्निंग के माध्यम से स्वचालन और स्व–नियमन का उपयोग और ऊर्जा प्रणाली प्रबंधन, संचालन, शासन, स्वामित्व और जुड़ाव के अधिक स्थानीय रूप शामिल हैं। यह इस बात में भी बदलाव ला रहा है कि विभिन्न हितधारक ऊर्जा प्रणाली के साथ कैसे जुड़ते हैं और इसके लिए आवश्यक नए हुनर कैसे हैं।

कौशल श्रृंखला

1. वितरण नेटवर्क ऑपरेटरों (डीएनओ) में ग्रिड प्रबंधन और संचालन के अधिक स्थानीय रूपों को देखा जा रहा है, जिन्होंने पारंपरिक रूप से नेटवर्क प्रबंधन में निष्क्रिय भूमिका निभाई है, जो अधिक सक्रिय "वितरण प्रणाली ऑपरेटर" (डीएसओ) बनने की दिशा में अग्रसर हैं। इसमें संभावित रूप से सिस्टम संतुलन कार्यों को दोहराना

शामिल है, जिससे नेशनल ग्रिड ईएसओ वर्तमान में पारेषण स्तर पर कार्य करता है ताकि वितरण नेटवर्क में ऊर्जा प्रवाह का पूर्वानुमान और सक्रिय रूप से प्रबंधन किया जा सके, स्थानीय स्तर पर आपूर्ति और मांग का मिलान किया जा सके और स्थानीय व्यापार व्यवस्था को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके लिए इन अभिकर्ताओं को नए कौशल और काम करने के तरीकों की आवश्यकता है।

2. एसएलईएस द्वारा शुरू की गई नई प्रबंधन एवं कामकाजी पद्धतियां, विकेंद्रीकृत और डिजिटल प्रौद्योगिकियों (जिनमें से कई को घरों में शामिल किया जा सकता है जैसे सौर पीवी, घरेलू बैटरी, ईवी इत्यादि) में बढ़ोतरी, ऊर्जा प्रणाली को लोगों और समुदायों के बहुत करीब लाती है, जहां वे रहते हैं।

3. ऊर्जा प्रणाली को लोगों और जिन समुदायों में वे रहते हैं, उनके करीब लाने के लिए कुशल उपभोक्ताओं को भी अपने व्यवसायों और घरों में इन प्रणालियों को संचालित करने की आवश्यकता होती है। यदि ऊर्जा उपभोक्ताओं में स्मार्ट ऊर्जा क्रांति के संभावित लाभों के बारे में कौशल और जागरूकता की कमी है तो नई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में काफी बाधा आ सकती है। इसलिए, नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं से जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यक स्मार्ट कौशल को भी पहचानने और ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. विद्युत, ताप और गतिशीलता जैसी ऊर्जा सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों (मुख्य रूप से कम कार्बन और नवीकरणीय स्रोतों) पर आधारित प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करना। इन प्रणालियों में उत्पादन प्रौद्योगिकियां जैसे– सौर पीवी, पवन टरबाइन तथा सीएचपीय भंडारण प्रौद्योगिकियां, रेट्रोफिट प्रौद्योगिकियां जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय, स्मार्ट मीटर तथा थर्मोस्टेट एवं ईवी जैसी गतिशील प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जा सकता है। ऊर्जा के विभिन्न पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोतों में यह एकीकरण एसएलईएस को किसी भी समय और स्थान पर स्थानीय उत्पादन और उपभोक्ता मांग के स्तर के आधार पर सबसे उपयुक्त ऊर्जा आपूर्ति तंत्र (जैसे सौर या भंडारण) का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

5. ऊर्जा डिजिटलीकरण सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोसेसिंग, नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और कनेक्टिविटी में बदलाव से प्रभावित हुआ है। ऊर्जा डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ अनुकूलन एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग के और अधिक विकसित होने की उम्मीद है। इसलिए, डिजिटलीकरण में नए कौशल–सेट तेजी से एसएलईएस के विकास और मांग और आपूर्ति गतिविधि के आसपास के गतिशील संकेतों का जवाब देकर मूल्य, कार्बन कटौती और दक्षता के संदर्भ में ऊर्जा वैक्टर में अनुकूलन करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

6. सतत निर्माण एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं (उपभोक्ता, प्रोज्यूमर, गृहस्वामी) के पास उपकरणों का सर्वोत्तम उपयोग और उन्हें अनुकूलन करने का कौशल, साथ ही उन्हें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाना जैसे कि डिकमीशनिंग से कौशल, अपशिष्ट और पुनर्चक्रण के साथ ही विभिन्न एसएलईएस प्रौद्योगिकियों का चयन करना या व्यवहार परिवर्तित करना।

7. जबकि एसएलईएस के लिए आवश्यक कुछ हुनर प्लंबिंग, संस्थापन, प्रबंधन, विनिर्माण, आईटी और लॉजिस्टिक्स

जैसी मौजूदा व्यावसायिक कार्य प्रणालियों में पाए जा सकते हैं; एसएलईएस को एक सुसंगत एसएलईएस प्रणाली स्थापित करने के लिए संपूर्ण सिस्टम और ये सभी प्रौद्योगिकियां, कार्यप्रणालियां एवं वैक्टर एक साथ कैसे काम करते हैं, इनकी व्यापक समझ की जरूरत होती है। इसलिए, नवोन्वेषी, अंतर–विषयक शिक्षण और कौशल–सेट को सक्षम करने के लिए मौजूदा उद्योग संरचना को बदलने की जरूरत है।

8. स्मार्ट स्थानीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्मार्ट कौशल एसएलईएस के मुख्य संभावित लाभों में से एक, ऊर्जा प्रणालियों के लाभों को अधिकतम करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण और उत्तरदायी तरीके से जानकारी को संसाधित करने की उनकी क्षमता है। इसलिए उपभोक्ताओं को एसएलईएस के लिए आवश्यक नवीन तकनीकों की स्थापना, मूल्यांकन, परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट कौशल तेजी से आवश्यक हो जाने की संभावना है। मौजूदा क्षमताओं के साथ डिजिटल कौशल में बढ़ोत्तरी समय की मांग के अनुरूप ही होगी।

निष्कर्ष: ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा फ्लेक्सिब्लाइजेशन से संबंधित कुछ नए नवाचार तथा दक्षता को विकसित करना होगा, जिससे कि ऊर्जा के सतत स्रोतों का और अधिक दोहन किया जा सके तथा इस तरह के अभियंताओं, जो कि फ्लेक्सीपर्ट हों तथा उन्हें भी नए सिद्धांत तथा नए एआई टूल्स तथा ऑटोमेशन को बढ़ावा देना तथा नए स्किल को सीखते रहना होगा। ऐसे अभियंता जो कि जरूरत के हिसाब से नए एसएलईएस को भी डिजाइन कर सकेंगे तथा भविष्य की जरूरत को अधिक सामाजिक तथा आर्थिक समझ के साथ आगे ले जा सकेंगे। इसके लिए अध्ययन, प्रशिक्षण तथा प्रयोग मूलमंत्र होगा।

"हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों और भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।"

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री।

विश्व को भारत की देन

पंकज कुमार शर्मा
उप प्रबंधक (राजभाषा),
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
ऋषिकेश, उत्तराखंड।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" संविधान की इस प्रस्तावना में पूरे देश की छवि प्रतिबिम्बित होती है। "हम भारत के लोग"– "वी द पीपल ऑफ इंडिया" कथन एक बहुत सुखद अहसास कराता है। स्पष्ट तौर पर इसमें यह परिलक्षित होता है कि हम भारत के लोगों की संस्कृति, बोलचाल, भाषा, धर्म आदि भिन्न–भिन्न भले ही हों, परन्तु हम एक हैं और अनेकता में एकता की भावना रखते हैं। हम भारत के लोग विश्व के लगभग हर देश में हैं, हम भारत के लोग कहीं भी रहे, परन्तु अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को नहीं छोड़ते। हम भारत के लोग जहां भी जाते हैं वहां अपनी अमिट छाप छोड़कर आते हैं। हम भारत के लोग विश्वगुरू हैं। हम भारत के लोगों ने विश्व को हमेशा नए ज्ञान एवं विज्ञान से नवाजा है।

जब हम विश्व को भारत की देन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं तो स्पष्टतया देखते हैं कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला होने का गौरव भारत को मिला है। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व भारत के प्राचीन गणितज्ञ बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रच दिए थे। आज भले ही विश्व में पाइथागोरस एवं यूक्लिड के सिद्धांत पढ़ाए जाते हों परन्तु पाई के मूल्य की गणना करने में बौधायन का योगदान रहा है। यदि भारत ने विश्व को शून्य न दिया होता तो विश्व का आधुनिक विकास भी शून्य ही रहता। विश्व को आयुर्वेद एवं योग की शिक्षा देने वाला भी भारत ही है। विश्व को खगोल विज्ञान का ज्ञान देने का श्रेय भी भारत को ही जाता है। वेद मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। यह मानना है कि प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है परन्तु भारत के सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है।यह माना जाता है कि सुश्रुत युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य चिकित्सा किया करते थे।

न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर ली थी तथा उन्होंने इसका उल्लेख अपने ग्रंथ "सिद्धांत शिरोमणि" में किया है। अनेक विदेशी विद्वानों ने भास्कराचार्य के लिखित ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान अर्जित किया है। शतरंज की उत्पत्ति का श्रेय भी भारत को ही जाता है क्योंकि यह खेल भारत में प्राचीनकाल से खेला जाता था जिसका उल्लेख अनेक धर्मग्रंथों में मिलता है। सांप–सीढ़ी का खेल, जो कि पूरे विश्व में प्रचलित है और लगभग सभी बच्चे इसे खेलते हैं, इसका आविष्कार भी भारत में हुआ है जिसे सारिकाओं या कौड़ियों की सहायता से खेला जाता था। स्कूलों के कोर्स में यही सिखाया

जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, परन्तु यह कहना उचित होगा कि आधुनिक विमान की शुरूआत ओरविल और राइट ब्रदर्स ने वर्ष 1903 में की परन्तु उनसे हजारों वर्षों पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमानशास्त्र लिखा था जिसमें हवाई जहाज के उड़ने की तकनीक का वर्णन मिलता है। रेडियो का आविष्कारकर्ता मार्कोनी को माना जाता है जिसके लिए उन्हें वर्ष 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, परन्तु रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता भारत के जगदीश चन्द्र बसु थे जिन्होंने यह खोज वर्ष 1895 में ही कर ली थी और इसके 02 वर्ष बाद ही मार्कोनी ने अपना प्रदर्शन किया और इसका सारा श्रेय ले लिया। चूंकि भारत उस समय आजाद नहीं था इसलिए जगदीश चंद्र बसु की खोज को महत्व नहीं मिला। हालांकि, परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणुशास्त्र का जनक माना जाता है। बिजली के आविष्कारक भारत के ही महर्षि अगस्त्य थे जो एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन ने अपनी एक किताब में लिखा हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते–पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। धर्म, समाज, संस्कृति, समुदाय आदि की संकल्पना करने का श्रेय भी भारत को ही जाता है।

भारत ने विश्व को विविध कलाओं का ज्ञान प्रदान किया। विश्व के विद्वानों ने भी अनेक वैश्विक मंचों पर भारत के इन योगदानों को मान्यता दी है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास एवं इन्हें रचने वाले तथा दिन–रात इन कार्यों में जुटे रहने वाले हमारे नायकों को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के कारण विश्व अनेक अवसरों पर भारत की ओर मुंह करके हमारी प्रतिक्रिया जानने का इच्छुक हो जाता है। यह हमने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के समय हमारे छात्र तिरंगा लहराते हुए अपने देश सकुशल वापस आ गए। वे खुद तो आए ही, साथ ही अपने साथ हमारे पड़ोसी देशों के छात्रों को भी ले आए। हमने देखा कि किस प्रकार पश्चिमी देश इस युद्ध को रोकने का दबाव रूस पर बनाने के लिए भारत की ओर देख रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर बसे सभी भारतीय सुरक्षित वापस आए। हमने देखा और पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है। हमें अभिमान है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां लोगों में एकता का भाव है, जहां युद्ध में सैनिक अपने शौर्य का कई बार लोहा मनवा चुके हैं। यह विश्व का एकमात्र देश है, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान भाव रखा जाता है। हमारी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हम कहीं भी रहते हों, किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, बस हमेशा देश के विकास के बारे में सोचें । जब देश का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास भी स्वतः ही हो जाएगा।

विकसित भारत बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका

जितेन्द्र सिंह चन्देल
कनिष्ठ अभियंता (मा.सं.–प्रशासन विभाग)
टीएचडीसी इंडिया लि. ऋषिकेश, उत्तराखंड।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक होती है। यह विभिन्न उद्यमों का संयुक्त उपक्रम भी हो सकता है। सरकार के स्वामित्व के आधार पर यह केंद्रीय उपक्रम या राज्य उपक्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें सरकारी कंपनियां, वैधानिक निगम, बैंकिग संस्थान आदि आते हैं।

भारत 200 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा तथा वर्ष 1947 में स्वतंत्र हुआ। उस समय जो भी उद्योग थे, वे निरंतर सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यकता से बहुत कम थे। जो संस्थान उस समय मौजूद थे, वे सरकार के अधिकार से बाहर थे तथा उन पर सरकारी नियंत्रण न होने से देश में मंहगाई और मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा था। अंग्रेजों की गुलामी से देश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गया था। अतः देश को मजबूत व्यावसायिक वाणिज्यिक आधार देने और सतत विकास को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। उदाहरण के तौर पर देश में टाटा समूह इस्पात, लौह खनन की निजी कंपनी थी जो देश की समस्त जरूरतों को समय से पूरा करने में सक्षम नहीं थी। वैसे भी प्राइवेट कंपनी अपने लाभ के लिए ही कार्य करती है, जबकि सरकार सम्पूर्ण देश के विकास के बारे में सोचती है। इसलिए भारत सरकार ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए। वर्ष 1955 में भिलाई में, वर्ष 1964 में रूस की सहायता से बोकारो में, वर्ष 1959 में जर्मनी की सहायता से राउरकेला में तथा वर्ष 1959 में यूनाइटेड किंगडम की सहायता से दुर्गापुर में ये उपक्रम स्थापित किए गए। यह सभी उपक्रम जो भारी उद्योग से संबंधित थे, उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि आधारित उद्योग उपक्रम स्थापित किए गए थे। चूंकि, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है तथा इसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही उपक्रमों का समावेश है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत, सतत व विकासोन्मुख बनाने के लिए मजबूत आधारभूत सरंचना का होना अनिवार्य है। भारी मशीनरी उद्योग में बीएचईएल एवं सेल आदि की स्थापना की आवश्यकता हुई।

आधारभूत संरचना के बाद देश में अर्थव्यस्था को गति प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः वर्ष 1964 में श्री कृष्णा मेनन, आईएएस की अध्यक्षता में एक वाणिज्यिक समिति की स्थापना हुई। श्री मेनन की सिफारिश पर बैंकिंग प्रणाली को भी सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया तथा बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। सभी जानते हैं कि वर्ष 1969 से पूर्व बैंकिंग व्यवस्था निजी हाथों में थी। सरकार ने वर्ष 1969 में अधिग्रहण एवं ट्रांसफर अधिनियम लाकर 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जो 19 जुलाई, 1969 से प्रभावी हो गया। वर्ष 1980 में 06 बैंकों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे बैंक निजी व सार्वजनिक उपक्रमों को धन उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाता के तौर पर सरकार की आय के स्रोत के रूप में कार्य करने लगे। निःसंदेह बैंको के राष्ट्रीयकरण से बैंको की कार्यप्रणाली सुगम हुई और वे गतिशील विकास में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार का निर्वहन करने लगे। किसी भी देश के सतत आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारंपरित ऊर्जा के स्रोत कोयला व डीजल थे। डीजल भारत में कम उत्पादन के कारण आयात करना पड़ता था जिससे भारी मात्रा में धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। अधिकतर

कारखाने, तमाम मशीनी कार्य कोयले से चलते थे तथा पूरा रेल तंत्र कोयला के द्वारा संचालित था जिससे प्रदूषण बहुत होता था। कार्यो को गति प्रदान करने के लिए नई मशीनों का आविष्कार हुआ जो डीजल द्वारा संचालित थी। इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने पेट्रोलियम कारखाने, रिफाइनरी आदि की स्थापना की तथा दूसरे देशों पर डीजल पर पेट्रोलियम उत्पादों की निर्भरता कम की। इसके साथ ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि की। इन उपक्रमों में कोल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल आदि सरकारी उपक्रम शामिल हैं जो देश की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तथा देश के सतत आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष भागीदार बने है।

बढ़ते वैश्विक प्रदूषण व ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल तापमान बढ़ने के कारण पर्यावरणीय अस्थिरता, मौसम चक्र और फसल चक्र का प्रभावित होना तथा तमाम बीमारियों का बढ़ना एक चिंताजनक विषय है। ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्युत उत्पादन करने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, परमाणु संयंत्रों की स्थापना की गई तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कई सरकारी उपक्रम स्थापित किए गए। जिनमें बीएआरसी, इसरो, बीडीएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी आदि प्रमुख हैं। इनमें ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में टीएचडीसी, एनएचपीसी और बीएआरसी आदि प्रमुख हैं। कुछ उपक्रम भारत सरकार के व्यावसायिक क्षेत्र में हैं जैसे डेडीकेटेड फ्राइट कोरिडोर कारपोरेशन इंडिया लि. माल ढुलाई क्षेत्र में रेल मंत्रालय की कंपनी है। पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड ऊर्जा वितरण व पारेषण के क्षेत्र का उपक्रम है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने देश में सतत आर्थिक विकास का ढांचा तैयार करने से लेकर, वाणिज्यिक तथा आर्थिक विकास किया है। सभी उपक्रम अपने कार्य में निपुण हैं, जो पूरे देश की आवश्यकता के अनुसार अपना दायित्व व उत्पादन बढ़ा रहे हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भावी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यशैली में बदलाव कर रहे हैं तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दे रहे हैं।

इन सार्वजनिक उपक्रमों ने न केवल देश का विकास किया बल्कि देश के लाखों युवाओं को नौकरियां प्रदान की। इन उपक्रमों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाखों लोगों को व्यवसाय व रोजगार मिलता है। इन उपक्रमों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, प्रोडक्शन पैकेजिंग, यातायात, मरम्मत आदि कार्य करके लाखों लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ये उपक्रम लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील है तथा उसके परिणाम प्रत्यक्ष हैं। ये उपक्रम आजकल हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना चुके हैं। ये बाजार को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें यातायात, रेल, पथ पर्यटन, मनोरंजन आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकार के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अनेक गतिविधियां संचालित करते हैं, जिनसे सामान्य नागरिकों को लाभ मिलता है। इन दायित्वों में जन सामान्य के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, स्कूलों में अवसंरचनात्मक विकास करना, पार्कों में बेंच, झूले, फव्वारे, स्नान घाट आदि की व्यवस्था करना शामिल है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकार के विभिन्न अभियानों में अपना योगदान देते हैं, इनमें स्वच्छता के लिए संकल्प के साथ लोगों को जागरूक बनाना, वृक्षारोपण करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, यातायात सुरक्षा पखवाड़ा मनाना, साइबर सुरक्षा, सेमीनार, वेबीनार, आर्थिक प्रबंधन आदि का आयोजन करना शामिल हैं।

इस मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में जीवन, समाज विज्ञान, स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरण, नवीन ऊर्जा उत्पादन, बैंकिग व्यवस्था, कृषि कोई भी क्षेत्र हो, वह इनके बिना अधूरा है। अतः यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बिना देश का विकास संभव नहीं है। जितनी भी तरक्की हमारे देश ने की है, वह सुदृढ़ सार्वजनिक उपक्रमों के अथक प्रयास, निरंतरता व कार्य निपुणता के कारण ही संभव हो पाई है। ये उपक्रम देश के सतत विकास, प्रक्रिया, अवसंरचना, ऊर्जा उत्पादन व वितरण, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात, इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान का प्रमुख आधार व अभिन्न अंग है।

शास्त्रीय भाषा

स्मृति पटवर्धन, सहायक प्रबंधक (राजभाषा),
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।

भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां विभिन्न जाति, प्रजाति, भाषा, परंपरा, धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। बहुसांस्कृतिक शब्द से तात्पर्य सांस्कृतिक विविधता से है। कोई भी देश तभी बहुसांस्कृतिक कहलाता है जब वह अपने यहाँ उपस्थित लगभग सभी संस्कृतियों को समान महत्व देता है।

हमारे देश में शास्त्रीय संगीत (हिन्दुस्तानी एवं कर्नाटक) एवं शास्त्रीय नृत्य जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी इत्यादि के बारे में तो आपको ज्ञात होगा परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में कुछ "शास्त्रीय भाषाएं" भी हैं? यदि नहीं, तो हम यहाँ उन्हीं शास्त्रीय भाषाओं के बारे में बात करेंगे। भारत एक बहुभाषीय देश होने के कारण यहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। कहते हैं कि यहां प्रत्येक प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं– कहीं हिंदी, तो कहीं उड़िया, कहीं मराठी तो कहीं तमिल। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 आधिकारिक भाषाएं है। इसी प्रकार कुछ भाषाओं को "शास्त्रीय भाषा" का दर्जा मिला है।

भारतीय भाषा को "शास्त्रीय भाषा" दर्जा देने की नींव आजादी के बाद रखी गई। संविधान सभा में जब संस्कृत, वोटों के आधार पर आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी, तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया।

शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं?

शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500–2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्य/ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो।

आधिकारिक मानदंड

सरकार द्वारा कुछ आधिकारिक मानदंड निर्धारित किए गए हैं जिन्हें पूरा करने पर ही किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। वे मानदंड इस प्रकार हैं–

- उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500–2000 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का एक हिस्सा होना चाहिए, जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियाँ अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हों।
- उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए।
- शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके परवर्ती रूपों में विच्छिन्नता हो सकती है।

लाभ

शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् केंद्र सरकार उक्त भाषा को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है –

- संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष दो बड़े सम्मान देने की व्यवस्था।
- उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह कर आरंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा में विशेषज्ञता

प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिये शास्त्रीय भाषा की कुछ सीटें आरक्षित करवाना।

शास्त्रीय भाषाएं

भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है:–

तमिलः तमिल भाषा एक द्रविड़ भाषा है और यह भारत की पाँचवी सबसे बड़ी भाषा है। तमिल का लगभग 2500 वर्षों का अखंडित इतिहास लिखित रूप में है। इसके ऐतिहासिक वर्गीकरण में प्राचीन– पाँचवी शताब्दी ई. पू. से ई.सा के बाद सातवीं शताब्दी, मध्य– आठवीं से सोलहवीं शताब्दी और आधुनिक– 17वीं शताब्दी से काल शामिल हैं। तमिल भाषा को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

संस्कृतः संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इससे कई भाषाएं उत्पन्न हुई है। यह हिंद–आर्य भाषा हैं जो हिंद–यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक विद्वान मानते हैं कि संस्कृत भाषा पाँच हजार सालों से चलती आ रही है। संस्कृत भाषा के दो रूप माने जाते हैं वैदिक या छांदस और लौकिक। संस्कृत भाषा को वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

तेलुगुः तेलुगु भाषा दक्षिण भारत की चार द्रविड़ भाषाओं में से एक है। यह आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा है। इस भाषा की उत्पत्ति पहली शताब्दी ई.पूर्व के रूप में हुई थी। तेलुगु साहित्य में पद्य, उपन्यास या नाटक की सभी विधाओं में लेखन के विभिन्न मिश्रित रूप हैं। यह भाषा तमिलनाडु, कर्णाटक, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी बोली जाती है। तेलुगु भाषा को वर्ष 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

कन्नड़ः कन्नड़ कर्नाटक राज्य की राजभाषा है और दक्षिण द्रविड़ शाखा से सम्बद्ध है। यह साहित्यिक परंपरा वाली चार प्रधान द्रविड़ भाषाओं में दूसरी सबसे प्राचीन भाषा है। हालमिदी स्थित पहला कन्नड़ अभिलेख 450 ई. का है। कन्नड़ के तीन क्षेत्रीय प्रकारों की पहचान की जा सकती है, दक्षिणी (मैसूर), उत्तरी (धारवाड़) और तटीय (मंगलोर)। वर्ष 2008 में कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

मलयालमः मलयालम दो शब्द अर्थात "मलय" (पर्वत या सफेद चंदन) और "आलयम" (स्थान या घर) से बना है। यह भाषा मुख्यतः दक्षिण–पश्चिमी तटीय राज्य केरल में बोली जाती है। यह केरल और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है। इस भाषा का प्राचीनतम प्रमाण लगभग 830 ई. का एक अभिलेख है। वर्ष 2013 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

ओड़ियाः ओड़िया भाषा आधुनिक भारत–आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसकी लिपि का विकास भी नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसकी उत्पत्ति 10 वीं शताब्दी में हुई थी। यह भारत के ओडिषा राज्य की प्रमुख भाषा है। वर्ष 2014 में ओड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

शास्त्रीय भाषाओं के लिए समर्पित संस्थान

संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में कुछ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया जो शास्त्रीय भाषाओं के लिए समर्पित हैं:

संस्कृत हेतुः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन; राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति; और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली।

तेलुगु और कन्नड़ हेतुः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्थापित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान में संबंधित भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र।

तमिल हेतुः सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई।

नवीकरणीय ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा

महेश कुमार शर्मा
सहायक हिंदी अधिकारी
नीपको, शिलांग।

नवीकरणीय ऊर्जा जिसे हरित ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है, विद्युत के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति लाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्युत उत्पादन के दौरान कम कार्बन उत्सर्जन करने एवं पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना उत्पन्न और उपयोग किए जाने की वजह से इसे स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) भी कहा जाता है।

निरंतर विद्युत उपलब्धता के लिए ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाने और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए इसके उत्पादन के विभिन्न स्रोतों का उचित उपयोग करने की जरूरत है। सचेतनता के साथ विद्युत के उपयोग से हम अपने जीवन को अधिक आसान और बेहतर बना सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ विद्युत की बढ़ती मांग, औद्योगिकीकरण और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे–गैस, कोयला, पेट्रोलियम आदि से विद्युत उत्पादन ने पर्यावरण पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इससे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक स्थायी और सशक्त समाधान के रूप में उभरकर सामने आया है।

सौर ऊर्जा (Solar Energy): यह ऊर्जा सूर्य की प्रखर किरणों से प्राप्त की जाती है और इसे सोलर पैनल्स के माध्यम से विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। यह एक असीमित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा का घरेलू उपयोग हमारे लिए नया विषय नहीं है। हालांकि, बड़े पैमाने में इसकी क्षमता का उपयोग करना और सौर ऊर्जा का दोहन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है।

सूर्य की किरण/ताप को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक (पीवी), सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बने सेल का उपयोग किया जाता है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नवोन्मेषी प्रक्रिया के रूप में सामने आया है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट को जलाशयों के सतह पर स्थापित किया जा सकता है। इसके एकाधिक लाभ है। सूर्य की किरण पानी पर गिरने से उसके रेफ्लेक्शन से जमीन में लगाए गए सोलर प्लांट के मुकाबले अधिक ऊर्जा उत्पादन होती है, साथ ही जल के वाष्पीकरण में भी कमी आती है। भारत सरकार द्वार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पवन ऊर्जा (Wind Energy): पवन टरबाइन की सहायता से वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह भी एक पुराना परंतु महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जब पवन टरबाइन को जमीन पर लगाया जाता है, तो उन्हें तेज हवाओं वाले क्षेत्रों जैसे पहाड़ी की चोटी या खुले मैदान में लगाया जाता है ताकि निरंतर पवन का प्रवाह प्राप्त हो और निर्बाध रूप से ऊर्जा उत्पादन हो सके।

जल विद्युत (Hydropower): जल की तेज गति की धारा से प्राप्त ऊर्जा को जलविद्युत संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह ऊर्जा स्रोत नदी, जलाशय और बांधों पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में नदियों या झरनों से तेज गति से बहने वाले पानी का उपयोग करके हाइड्रो पावर टर्बाइन ब्लेड को घुमाया जाता है। भारत की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा

करने में जल विद्युत का एक प्रमुख स्थान है। देश में जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए व्यापक संभावनाएँ उपलब्ध हैं, हालांकि छोटे जलविद्युत संयंत्र को ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना गया है।

जैव ऊर्जा (Biomass Energy): यह ऊर्जा जैविक पदार्थों जैसे पेड़–पौधों के पत्तों, पशु अपशिष्ट से प्राप्त की जाती है। इन पदार्थों को जलाने या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। यह एक स्थायी ऊर्जा स्रोत है जो कचरे के पुनःउपयोग को प्रोत्साहित करता है।

भू–तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy): पृथ्वी के सतह के नीचे आंतरिक (भूमिगत) गर्मी से यह ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भू–तापीय संयंत्रों के माध्यम से इस ताप को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। यह ऊर्जा स्रोत भू–गर्भीय प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। भूमिगत जलाशयों में मीलों गहरे कुएं खोद कर भू–तापीय संसाधनों का दोहन किया जाता है। ये संसाधन, चाहे प्राकृतिक हों या अप्राकृतिक, इससे विद्युत जनरेटर से संलग्न टर्बाइनों का परिचालन किया जाता है।

भू–तापीय ऊर्जा अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में किफायती होती है, जिससे जीवाश्म ईंधन की तुलना में अनुमानतः 70–80 प्रतिशत तक की बचत होती है।

ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy): इस पद्धति में समुद्र की ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। महासागरों के प्रति प्रबल आकर्षण के कारण जल स्तर के भीतर एक उत्थान आता है, जिससे जल स्तर में अल्पकालिक वृद्धि होती है। महासागर का जल पृथ्वी की परिक्रमा के कारण तटरेखा से सटे पानी की तेज धार से टकराकर ज्वार पैदा करता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया निरंतर होती है।

ऊर्जा आपूर्ति के लिए ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में एक अच्छा विकल्प है। ज्वार द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा स्थिर नहीं हो सकती परंतु निरंतर हो सकती है।

स्वच्छ ऊर्जा के फायदे:

ये ऊर्जा स्रोत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये स्रोत असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरण संरक्षण को मदद मिलती है। लंबे समय तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके ऊर्जा लागत को कम किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक सतत भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा ही हमारे भविष्य की विद्युत की आवश्यकताओं का स्थायी समाधान है। यह न केवल ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है। हमारे भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना अति आवश्यक है।

भारत में महिला सशक्तीकरण

सुश्री रश्मि
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
राजभाषा प्रभाग, विद्युत मंत्रालय।

मैं भारतीय स्त्री हूँ, समाज का आधा हिस्सा। उस भारतीय समाज का आधा हिस्सा जिसके आराध्य देव का आधा हिस्सा ही स्त्रैण है। उसी समाज ने अपने ही आधे हिस्से को जानबूझकर अनदेखा किया या यूं कहें कि उसके स्वतंत्र अस्तित्व को मानने की जरूरत ही नहीं समझी। डॉ. अंबेडकर ने कहा था 'यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो'।

आधी आबादी के रूप में महिलाएं

स्त्री, पुरुष और प्रकृति के बीच की कड़ी है जहाँ सृजन जीवंत है। वो न केवल सृष्टि बल्कि समाज की भी आधी हिस्सेदार है। संतुलन समाज का नियम है, वैज्ञानिक रूप से भी और दार्शनिक रूप से भी और इसी संतुलन में स्त्री और पुरुष का सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक संतुलन भी आता है। इस संतुलन में समय–समय पर तथाकथित बदलाव हुए और स्त्री ने सभी बदलाव के अच्छे–बुरे प्रभाव भी झेले। अपने आधे वजूद से स्त्री ने हमेशा पुरुष का साथ भी दिया और न जाने कब पुरुष का साथ देते–देते उसका अपना वजूद ही स्याह और शून्य होता चला गया। वैदिक काल से आधुनिक काल तक कई परिवेश बदले और साथ ही बदली स्त्री की परिभाषाएं। स्त्री आधी आबादी के आधे सच जैसी है जो धुंधला है और कुछ स्याह भी। कुछ कह सकी और कुछ अनसुनी कर दी गयी और अधिकतर में कभी कुछ कहने की सोच भी कभी पैदा नहीं हो पायी। तालीम ने सोचने और समझने की ताकत तो दी लेकिन फैसले करने की आजादी न तो परिवार ने दी, न समाज ने। आजादी के हक को कभी उसकी परवरिश में शामिल ही नहीं किया।

सिमोन द बोउवार का कथन भी है – "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।"

मातृसत्तात्मक समाज – भारत व संपूर्ण विश्व पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में रहता आया है। जब हम महिला सशक्तीकरण की बात करते है, इसका यह आशय नहीं है कि समाज को मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की *खासी* व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखी जाती है जहां नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियों जैसे चीन की *मोसुओ*, कोस्टारिका की *ब्रिब्रि* जनजाति, न्यू गुयाना की *नागोविसी* जनजाति मातृसत्तात्मक है। यहाँ महिलाएं ही राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं। हमें भी स्वस्थ और संतुलित समाज के निर्माण के लिए एक बेहतर सामाजिक संरचना तैयार करनी होगी।

महिला सशक्तीकरण का आधार – विश्व में नारी आंदोलन व भारत में इसका प्रभाव

पहली नारीवादी लहर 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में दूसरी 1960 और 1970 के दशक में भी, और तीसरी 1990 के दशक से लेकर आज तक फैली हुई है। नारीवाद, स्त्री–पुरुष भेदभाव की पड़ताल के लिए मुख्य रूप से "सेक्स" और जेंडर को आधार बनाता है। नारीवादियों का मानना है कि "सेक्स" एक जीव वैज्ञानिक तथ्य है और "जेंडर" एक समाज वैज्ञानिक तथ्य। नारीवादियों का मानना है कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट में जो अंतर स्थापित किया है उसी को सामाजिक स्थिति का आधार बना लिया गया जो कि

तर्कसंगत नहीं है। यह विचार स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकार देता है। नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। नारीवाद की पहली लहर 1848–1920 की है, जब अमेरिकी महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी ढंग से हासिल करने के उद्देश्य से पहला संगठित आंदोलन जुलाई, 1848 में एलिजाबेथ केंडी स्टैंटन और ल्यूक्रेटिया मॉट द्वारा सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क में आयोजित सम्मेलन के साथ हुआ।

वर्ष 1920 में अमरीकी संविधान के 19वें संशोधन के अनुसमर्थन ने नारीवाद की पहली लहर श्वेत महिलाओं को वोट देने के अधिकार की गारंटी के साथ तथा दूसरी लहर अश्वेत महिलाओं और अन्य रंग की महिलाओं को वर्ष 1965 के मतदान में वोट देने की गारंटी के साथ पूर्ण हुई।

तीसरी लहर नब्बे के दशक से प्रारंभ होती है। यह द्वितीय लहर की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। वैश्विक रूप में जिस प्रकार नारीवाद को देखा जा रहा था, उसे गढ़ा जा रहा था, उसी क्रम में उसी के साथ भारत में भी महिलाओं की स्थितियों को लेकर लगातार समान सुधार के व्यापक प्रयास हो रहे थे। लेकिन इसका स्वरूप वैसा नहीं था जैसा वह पश्चिम में रहा था। भारत में नवजागरण अर्थात् 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इसकी शुरुआत मानी जाती है जिसने वर्ष 1915 के आसपास जोर पकड़ा और फिर वर्ष 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। इस समय गांधी व अंबेडकर द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास सराहनीय रूप से देखा जाता है।

भारत में इसका तीसरा चरण जो अभी तक देखा जा सकता है उसके प्रमुख बिंदु महिलाओं के सामाजिक– राजनीतिक–आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा हुआ है।

सशक्त होने का वास्तविक आशय

पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य की पंक्ति है ''दिवस कमजोरों के मनाए जाते हैं मजबूत लोगों के नहीं''। एरिन मर्फी–ग्राहम लिखती हैं कि शिक्षा से स्वतः ही महिला सशक्तीकरण नहीं हो जाता क्योंकि जिस सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में महिलाएं रहती हैं, वह उनके विकल्पों पर भारी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है।

भारत सरकार ने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। लेकिन समाज के हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वह सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंच हो और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी हो। बलात्कार, लड़की के अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि के न जाने कितने मामले हैं। इन कारणों से उन्हें अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तीकरण की आवश्यकता होती है। नारीकृत गरीबी को कम करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन और देश की महिला आबादी को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी संपत्ति बनाने की आवश्यकता है।

वर्तमान परिदृश्य में भारत में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी बहुत मजबूत है। समय–समय पर खाप पंचायतें या इसकी जैसी ही अन्य संस्थाएं महिलाओं के वस्त्र पहनने को लेकर मोरल पुलिसिंग के तमाम प्रावधान सुझाते रहते हैं। सबरीमाला तथा अन्य धर्म स्थलों पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित करना इसके ताजातरीन परिणाम हैं। लंबे प्रयासों व आंदोलनों से गुजरते हुए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए खुद लड़कर अपने लिए अनेक नए अवसरों का रास्ता खोला। अभी सामाजिक– आर्थिक–राजनीति और सांस्कृतिक रूप से कई जगहों पर इसके साथ समानता का व्यवहार किया जाना बाकी है। समाज को एक माहौल बनाने की पहल करनी चाहिए जिसमें लैंगिक भेदभाव न हो और महिलाओं को समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में स्वयं निर्णय लेने और भाग लेने का पूरा अवसर होना चाहिए।

सालूर-डुंगरा: हिमालय की गोद में स्थित विश्व का एक सांस्कृतिक धरोहर

अविनाश कुमार
कार्यपालक प्रशिक्षु (जनसंपर्क)
विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मेरा काम अक्सर मुझे उत्तराखंड के शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में ले जाता है। चमोली जिले में निर्माणाधीन 444 मेगावाट की विष्णुगाड़–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) के लिए जनसंपर्क कार्यों हेतु, मुझे आसपास के कई गांवों में जाने का अवसर मिलता रहता है। इनमें से प्रत्येक गांव की अपनी अनूठी कहानी है, और इन्हीं में से एक है सालूर–डुंगरा, पैनखंडा घाटी में बसा हुआ एक गाँव है, जो मेरे हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ गया है।

ऋषिकेश–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सालूर–डुंगरा पहली नजर में एक साधारण सा पहाड़ी गांव लगता है। लेकिन इस गांव के भीतर एक सांस्कृतिक धरोहर छिपी है जिसने इसे विश्व के मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिलाया है। सालूर–डुंगरा अपनी रंगीन और जीवंत रम्माण उत्सव के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो पिछले 500 से अधिक वर्षों से इस गांव की सांस्कृतिक पहचान है।

रम्माण सिर्फ एक साधारण उत्सव नहीं है बल्कि यह सालूर–डुंगरा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक जीता–जागता प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान, रामायण के चुने हुए प्रसंगों को एक अनूठे नृत्य, संगीत और मुखौटा प्रदर्शन के माध्यम से जीवंत किया जाता है। रम्माण की विशेषता यह है कि इसमें बिना बोले कहानी प्रस्तुत की जाती है। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जैसे पात्र अपने किरदारों को केवल हाव–भाव, ताल और पारंपरिक ढोल की धुनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इस प्रदर्शन में जटिल रूप से डिजाइन किए गए 18 मुखौटे, 18 अलग–अलग ताल, 12 ढोल, 12 दमाऊ, और 8 भांगड़े का उपयोग किया जाता है। बिना शब्दों का उपयोग किए कलाकार जिस प्रकार का वातावरण रचते हैं, वह इस लोक कला की गहराई का प्रमाण है।

वर्ष 2009 में, यूनेस्को ने इस प्राचीन परंपरा के महत्व को पहचाना और रम्माण उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया। इस मान्यता ने न केवल सालूर–डुंगरा की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर किया, बल्कि उत्तराखंड की अनूठी परंपराओं पर भी वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।

उत्तराखंड, जिसे अक्सर "देवभूमि" के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर एक साथ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ और हरी–भरी घाटियाँ कई प्राचीन परंपराओं और त्योहारों की पृष्ठभूमि बनती है, जिनमें रम्माण एक चमकता हुआ उदाहरण है।

रम्माण उत्सव की जड़ें इस क्षेत्र के आध्यात्मिक इतिहास में गहराई से समाई हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य, जो प्रसिद्ध दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, ने पूरे भारत में सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए चार मठों की स्थापना की थी। जोशीमठ के आसपास, उनके शिष्यों ने उनके आदेश से मिथकीय मुखौटों के साथ नृत्य करते हुए स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, जो समय के साथ रम्माण उत्सव में विकसित हुआ और सालूर–डुंगरा और आस–पास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक संरचना का एक अभिन्न हिस्सा बन गया।

जो लोग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में डूबना चाहते हैं, उनके लिए रम्माण उत्सव के दौरान सालूर–डुंगरा की यात्रा एक रहस्यमय और दिव्य अनुभव की यात्रा है। चमोली जिले की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, यह गांव एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो साधारण से परे है यानि एक ऐसी परंपरा को देखने का अवसर जो सदियों से संरक्षित है और अब इसे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पिछले एक साल में, मेरे काम ने मुझे चमोली जिले के विभिन्न हिस्सों में जाने का अवसर दिया है। मैंने यहां के पर्यटक और धार्मिक स्थलों की सैर की है, शांत गांवों को देखा है, और छोटे–छोटे कस्बों की यात्रा की है। प्रत्येक यात्रा ने मुझे इस भूमि से गहराई से जोड़ा है, और यहां की रहस्यमयी ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति को महसूस करने का मौका दिया है। चमोली का हर कोना एक अनोखी जीवंतता से भरा हुआ है, एक दिव्य अनुभूति, यहां की हवा में समाई हुई है।

मैंने अक्सर उत्तराखंड को "देवभूमि" कहते सुना था, लेकिन इन पवित्र स्थलों में समय बिताने के बाद ही मैं वास्तव में इसके अर्थ को समझ पाया। पहाड़ों की शांति, मंदिरों की आध्यात्मिक आभा और रम्माण उत्सव जैसी कालातीत परंपराएं सब मिलकर एक ऐसा स्थान बनाते हैं जो सचमुच देवताओं का घर होने के योग्य लगता है।

मेरे लिए, चमोली केवल उत्तराखंड का एक जिला नहीं है; अपितु यह एक जीवंत दिव्यता का प्रतीक है। चाहे आप एक सांस्कृतिक प्रेमी हों, एक आध्यात्मिक साधक, या कुछ असाधारण की खोज में निकले यात्री, सालूर–डुंगरा और इसका रम्माण उत्सव आपको एक ऐसा अनुभव देगा, जो इस रहस्यमयी भूमि के शांत पहाड़ों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा।

नीयत में खोट

अतरसिंह गौतम
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
एनटीपीसी, केंद्रीय कार्यालय, नोएडा।

किसी गांव में तीन बच्चे एक ही समय पैदा हुए। गांव वालों ने उनकी परवरिश एवं शिक्षा – दीक्षा समान रूप से एक ही स्थान पर की और स्वभाव से वे तीनों एक जैसे ही प्रतीत होते थे। उनके नाम श्याम लाल, रामलाल और चुन्नी लाल रखे गए। जब उन तीनों की मृत्यु का समय आया तो यमराज ने अपने दूत चित्रगुप्त को यह कहकर भेजा कि श्याम लाल और राम लाल को स्वर्ग में ले आओ और चुन्नीलाल को नरक में ले जाना है। यमराज के आदेशानुसार चित्रगुप्त श्याम लाल, रामलाल और चुन्नीलाल के पास उनकी आत्मा लेने आए। चित्रगुप्त ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चित्रगुप्त के मुंह से अनायास ही निकल गया कि चुन्नी लाल नरक में जाएगा। श्याम लाल और राम लाल को स्वर्ग मिलेगा। चित्रगुप्त के इतना कहते ही चुन्नी लाल बिगड़ गया और कहने लगा कि जब हम तीनों के कर्म और स्वभाव एक जैसे हैं तो मैं ही क्यों नरक में जाऊंगा। यह सुनकर चित्रगुप्त वापस यमराज के पास लौट गए।

यमराज ने चित्रगुप्त को समझाकर पुनः भेजा कि तुम उन तीनों की परीक्षा लो और परीक्षा में चुन्नीलाल से कठिन प्रश्न पूछकर उसे फेल करके नरक में ले आओ। चित्रगुप्त पुनः आए और उन्होंने उन तीनों से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, जो परीक्षा में फेल होगा, उसे नरक मिलेगा। वे तीनों राजी हो गए।

चित्रगुप्त ने श्यामलाल से पूछा– कि "A" for Apple की स्पेलिंग और मतलब.......सेब। तुम पास हो, चलो स्वर्ग की लाइन में।

अब रामलाल तुम बताओ– "B" for Bat की स्पेलिंग और अर्थ.. .. बल्ला। तुम पास हो गए, चलो स्वर्ग की लाइन में।

इसके बाद चुन्नीलाल तुम बताओ– "C" for Correspondence की स्पेलिंग और अर्थ बताओ । मैं क्यों बताऊं, मुझसे तो "C" for Cat की स्पेलिंग और कुछ अर्थ पूछो (जैसा कि श्यामलाल और रामलाल से पूछा है) चित्रगुप्त ने कहा– तुम्हें नहीं आता उत्तर, तो फिर चलो नरक में। मैं क्यों जाऊं नरक में ? चित्रगुप्त ने कहा– बात नहीं मानी, हां नहीं मानी, क्यों नहीं मानी, क्योंकि इसमें है बेईमानी।

चित्रगुप्त निराश होकर वापस यमराज के पास पहुंचे और बोले कि साहब नहीं आया नरक में चुन्नीलाल। क्या कहता है वो? साहब कहता है कि इसमें है बेईमानी। यमराज चित्रगुप्त से कहा कि अबकी बार तुम जाकर लिखित परीक्षा लो और उसे उसमें फेल करके नरक में ले आओ। यमराज के निर्देशानुसार चित्रगुप्त ने उनके लिखित परीक्षा ली।

श्यामलाल से कहा– लिखो–भौं भौं और इसका मतलब बताओ। लिख दिया सर, भौं भौं अर्थात कुत्ता का भौंकना। फिर तुम चलो स्वर्ग की ओर।

रामलाल अब तुम लिखो– म्याऊं–म्याऊं और इसका मतलब बताओ, लिख दिया सर, म्याऊं–म्याऊं अर्थात् बिल्ली की म्याऊं ठीक है, तुम चलो स्वर्ग की ओर।

अब चुन्नीलाल तुम लिखो–धा–क–धक धू और मतलब बताओ । लिखा चुन्नीलाल तुमने, नहीं लिखा? बताओ तुमसे नहीं लिखा जाएगा। नहीं, तो फिर चलो नरक में। मैं क्यों जाऊं नरक में? बात फिर नहीं मानी तुमने? हां, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि इसमें है बेईमानी।

चित्रगुप्त पुनः यमराज के पास चले गए। यमराज ने कहा, लाए चुन्नीलाल को। सर लाता तो जरूर, लेकिन वह नहीं माना चुन्नीलाल। इसके बाद यमराज गुस्से में वहां स्वयं आए और बोले– चुन्नीलाल तुमने चित्रगुप्त की बात नहीं मानी? हां सर, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसमें थी बेईमानी।

यमराज बोले– अब मैं तीनों से अलग–अलग प्रश्न पूछूंगा और प्रश्नों का उत्तर न देने पर उसे जरूर नरक में जाना होगा। इस पर तीनों राजी हो गए।

श्यामलाल–जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया ? सर, 9 अगस्त 1945 को। उत्तर ठीक है, तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो, चलो स्वर्ग में ।

रामलाल–हिरोशिमा परमाणु बम गिराने पर कितने लोग मारे गए? सर, 5 हजार (अंदाज से), ठीक है, तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हो, जाओ स्वर्ग में।

चुन्नीलाल– अब तुम बताओ। उस हिरोशिमा परमाणु बम गिराने में कौन–कौन आदमी मरे थे, उन मरने वालों के नाम बताओ ? सर, मैं इतने लोगों के नाम कैसे बता सकता हूं। तो फिर तुम चलो नरक में। अंततः यमराज ने चुन्नीलाल को नरक का भागीदार बना कर नरक भेज दिया।

इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि कोई किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है तो वह येन–केन प्रकारेण उसको क्षति पहुंचाने का निश्चय कर ही लेता है।

रोचक तथ्य

- दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेन्द्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात राज्य में स्थित है।
- भारत में स्थित चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज है।
- शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था।
- विश्व में सबसे अधिक डाकघर भारत में है।
- चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला भारत सबसे पहला देश है।
- भारत का कुम्भ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है।
- 'सांप–सीढ़ी' खेल का आविष्कार भारत में हुआ था।
- दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह मौसिनराम भारत में स्थित है।
- लेटर M अंग्रेजी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला लेटर है।
- दुनिया में आस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक के नोटों की शुरूआत की।
- पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है। यह 36,201 फीट (11,034 मीटर) गहरा है।
- प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था।
- सबसे अधिक रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज बेलीज (1981) का है, जिसमें 12 रंग हैं।
- एंग्लो–जांजीवार युद्ध(1896) अब तक का सबसे छोटा युद्ध था–केवल 38 मिनट तक चला।
- क्यूबा और उत्तर कोरिया ऐसे देश हैं जहां कोका कोला की खरीद नहीं होती है।
- लियोनार्डो दा विंची की "सैल्वेटर मुंडी" दुनिया की सबसे महंगी पेंटिग है।
- डॉलफिन मछली अपनी एक आंख खुली रखकर भी सो सकती है।
- घोड़ा खड़े–खड़े सोता है।

रोशनी... बस जरूरी है

अनिमेष मार्क रिचर्ड्स
समूह वरिष्ठ प्रबन्धक
एनएचपीसी धौलीगंगा पावर स्टेशन।

इस रोशनी वाली दुनिया में जितनी रोशनी जरूरी है, अंधेरे की अहमियत भी उससे जरा कम नहीं! वैसे ये अंधेरे भी कई तरह के होते हैं।

अक्सर इंसानों की दुनिया में अंधेरे का मतलब होता है ज्ञान की गैर–मौजूदगी पर इंसानों की इसी दुनिया में कई बार रोशनी का न होना भी अंधेरा ही कहा जाता है। पर आज वो अंधेरा भी इस हमारी दुनिया से ऐसे गायब हो रहा है, जैसे इस दुनिया की कई दुर्लभ प्रजातियाँ गायब हो चुकी हैं।

ये अंधेरा, जो हमारी दुनिया से गायब होने की कगार पर आ चुका है, ये हमारी पृथ्वी के लिए क्यों और कितना जरूरी है ये एक गंभीर तथ्य है, जो आज अति विचारणीय है!

19वीं सदी में जब पहली बार बिजली का बल्ब जला, यह इस पूरी पृथ्वी पर एक क्रांति की तरह था। क्रांति ऐसी कि रात अचानक से एक दिन जैसे उजाले में तब्दील होने लगी। बिजली की रोशनी से अब हम दिन और रात की परवाह किए बिना इंसान की हर दिन की जिंदगी से जुड़ा हर काम हर घड़ी पर कर सकते थे। एक वक्त पर, दिन और रात बनाने की जिस शक्ति पर केवल भगवान का अधिकार समझा जाता था, वो क्षमता अब एकदम से इंसान के पास आ गयी थी। मतलब अब इंसान भगवान के समान शक्ति धारण करने की एक और सीढ़ी पर चढ़ चुका था। पर ये सबकुछ इतना ही आसान होता, तो इंसान तो अपने साधे विज्ञान की मदद से कब का भगवान ही न बन गया होता!

जब से बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ है, दुनिया में जगमग लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसी जगमग के कुप्रभाव से रात के समय में अपने चरम पर महसूस होने वाली कृत्रिम रोशनी की वजह से अब जो समस्याएं होने लगी हैं, उनका असर इंसान अपने रोज़मर्रा के जीवन में बड़ी गहराई से देख पा रहा है।

आज की दुनिया की एक बड़ी आबादी को घने अंधेरे वाला आकाश देखना ही नसीब नहीं होता। अंधकार की इस कमी से न सिर्फ इंसानों की सेहत पर एक बड़ा फर्क पड़ता है बल्कि पर्यावरण पर भी इसका बहुत बुरा असर हो रहा है। इंसानों के इर्द–गिर्द अंधकार की इस गैर–मौजूदगी की वजह से कई बार नींद न आना, मोटापा, डिप्रेशन, आँखों में दिक्कत, हृदय और दिमाग की तरह–तरह बीमारियों जैसी समस्याएं अपने गंभीर परिणामों में पनपने लगती हैं। कृत्रिम रोशनी से हमारे शरीर के विभिन्न तंत्र भी प्रभावित होते हैं और इससे ब्लड प्रेशर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

वैज्ञानिक कृत्रिम रोशनी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल को अब प्रकाश प्रदूषण का नाम दे रहे हैं और इसके दुष्परिणामों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। कृत्रिम रोशनी के कारण कई बार जमीन पर रहने वाले जानवरों, पक्षी, कीड़े–मकोड़ों आदि के साथ–साथ गहरे समंदर के अंदर रहने वाले जलीय जीव, तरह–तरह के मूँगा इत्यादि इसे रात के बीचोबीच पैदा हो गया दिन मान लेते हैं, जिससे उनकी जीवन–श्रृंखला पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही ऐसे कृत्रिम प्रकाश से बहुत सारे पक्षी, तथा कई उभयचर प्राणी कई बार अपने प्रवास के दौरान अपनी राहों से भटक जाते हैं। यदि ऐसे ही इन जीव–जंतुओं की जीवन–शैली में परिवर्तन आते रहे और प्रकाश प्रदूषण के कारकों से वे मृत्यु की

चपेट में आते रहे, तो वो दिन दूर नहीं, जब इस दुनिया में ये सभी जीव नहीं होंगे, जो पारिस्थितिकी के संतुलन जैसी नैसर्गिक क्रिया के आधार हैं। बिलकुल स्पष्ट है, ऐसे में जब भिन्न–भिन्न जीवन क्रियाओं जैसे परागण को सम्पन्न करने वाले कीट इस वातावरण के भीतर नहीं होंगे, विभिन्न पेड़ों, जंगलों और दुनिया की खाद्य उत्पादन शृंखला पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त सारी समस्याओं का समाधान हम अकेले तो नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ है, जिसको हम अपने जीवन की रोज की दिनचर्या का हिस्सा बनाकर इस प्रकाश प्रदूषण को दूर करने में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। घरों में पर्दे टाँगकर तथा लैम्पशेड से हम कमरों से बाहर जाने वाली रोशनी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। रात को फ्लड–लाइट में खेले जाने वाले खेलों तथा रात में की जाने वाली यात्राओं में कमी करके भी इस परेशानी से एक बड़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। जब जरूरत न हो, घरों में रोशनी के बल्बों को बंद करके तथा देर रात की घड़ियों में स्ट्रीट लाइट की तीव्रता को धीमा करके भी इस परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है। इससे देश में ऊर्जा पर आने वाले खर्च में भी कटौती की जा सकती है।

उम्मीद है कि सुधी पाठक समझ रहे होंगे कि अंधेरे में देखने के लिए इंसानों को रोशनी की जरूरत होती है; लेकिन रोशनी उतनी ही होनी चाहिए, जितनी जरूरी हो। कोई भी प्रदूषण कभी भी अच्छा नहीं होता। प्रदूषण से इस दुनिया में जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, इसे सभी से बेहतर हम इंसान ही जानते हैं।

इतिहास के आइने से-राजभाषा

- भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है।
- 14 सितम्बर, 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं।
- जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।
- संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था।
- भारत के पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून, 1955 को संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में 21 सदस्य थे।

मेट्रो : सुविधा और मर्यादा

संत लाल,
परामर्शदाता, राजभाषा प्रभाग,
विद्युत मंत्रालय।

मेट्रो स्टेशन में घुसते ही लगता है, किसी दूसरे देश में आ गए। जगह–जगह शीशे की दीवार, स्टेनलैस स्टील के पोल और पिलर। विज्ञापनों की दुनियां– विशालकाय टीवी स्क्रीन, खान–पान के सामान की दुकानें! हजारों लोगों की भीड़, आते हैं लोग जाते हैं लोग, रंग–बिरंगे वस्त्र पहने मुस्कराते हैं लोग। एस्केलेटर से चढ़ते, एस्केलेटर से उतरते हुए, आती–जाती दुनिया सी नजर आते हैं लोग। कुछ–कुछ खाते हैं लोग, गुपचुप बतियाते हैं लोग, सीढ़ियों पर बैठे हैं, वेटिंग सीटों पर बैठे हैं, क्या खूब नजर आते हैं लोग। बहुत कम साड़िया बहुत कम सूट–सलवार, पैंटों–पायजामों में नजर आती हैं नारी लोग। सचमुच नारी–नर की ही नहीं, सुख की भी जननी है। ज्यादातर फैशन कैट–वाक् स्टेज ही हो। स्टेशन क्या, लगता है जैसे किसी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के शहर में हैं। भारत का ग्रामीण इसे देखकर चौंक जाता है और एशियाई समझता है कि भारत अब विकासशील नहीं, विकसित देश है।

दिल्ली एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, जिसकी भी इस पर नजर पड़ी, इसी का होकर रह गया। मुगल ज्यादा दिन तक आगरा में न रह सके और मौका मिलते ही अंग्रेज भी दिल्ली आ गए। आर्यों से लेकर अंग्रेजों तक सभी ने इसे बनाया–सजाया है। दिल्ली में इतनी ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं कि भारत के किसी अन्य शहर में नहीं हैं। हमारी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे प्रगति मैदान और एशियाड–82 दिया। एशियाड–82 के मद्देनजर अनेक स्टेडियम बनाए गए, लोग दिल्ली को क्रीड़ा स्थली कहने लगे थे। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ के खेल हुए जिससे दिल्ली मेट्रो को अंतर्राष्ट्रीय छवि प्राप्त हुई। आज दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों के साथ–साथ दिल्ली में रहने वाले अन्य भारतीयों के लिए जरूरत बन गई है। सफाई तथा चमक–दमक ऐसी है कि शेष सारा सौंदर्य फीका पड़ जाता है। एक घंटा किसी पार्क में बैठो और एक घंटा मेट्रो स्टेशन में, पता चलेगा कि जो सुख मेट्रो स्टेशन में है वो पार्क में कहां सुलभ है? यह मेट्रो!

दिल्ली में रोजाना लाखों लोग मेट्रो में यात्रा करते हैं। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, दिल्ली में आते हैं; अपना काम धंधा करके लौट जाते हैं। मेट्रो में टिकट थोड़ा महंगा जरूर है किंतु समय की बहुत बचत है। हमें मेट्रो का लाभ उठाना चाहिए लेकिन नाजायज लाभ नहीं। नौजवानों ने मेट्रो स्टेशनों को न केवल यात्रा सुविधा का केंद्र माना है बल्कि प्रेम–कहानी के सृजन का केंद्र भी बना लिया है। प्रेम करना बुरी बात नहीं है। प्रेम सभी को करना चाहिए, अपने प्रिय के बारे में सोचना चाहिए, कला द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए, स्मरणीय उपहार देने चाहिए, प्रिय की खुशी के लिए कुछ भी करना चाहिए। प्रेम मूलतः मानसिक अनुभूति–अभिव्यक्ति है, जब यह शारीरिक बनता है तो प्रेम नहीं रहता है। प्रेम कहानियां, प्रेम की फिल्में, अनुभवी विज्ञान ऐसा ही कहते आए हैं। मेट्रो स्टेशनों में अपने प्रिय की प्रतीक्षा करते युवा, मिलकर कुछ–कुछ खाते प्रेमी, एक कोने में बतियाती जोड़ियां अच्छी लगती हैं लेकिन कुछ दृश्य मर्यादाहीन हो जाते हैं। हमें मर्यादाहीनता से बचना चाहिए। शरीर को छूए बिना भी प्रेम हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक प्रेम की

अभिव्यक्ति मर्यादाहीनता है, सार्वजनिक स्थानों पर भावनात्मक प्रेम की कलात्मक अभिव्यक्ति हो तो अच्छा लगता है। सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक प्रेम की अभिव्यक्ति अभद्रता है, मर्यादाहीनता है, असामाजिकता है। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि मेट्रो में बच्चे भी यात्रा करते हैं जिन पर अप्रिय प्रभाव पड़ता है और उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ वरिष्ठ नागरिकों को नजर पड़ने वाली ऐसी उनके सुख में इजाफा नहीं करती होगी। सामूहिक रूप से यात्रा करने वाला परिवार ऐसा कुछ देखकर खुश नहीं होता होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं – बुद्ध – कबीर की संतान। हम प्रेम करते हैं किंतु मर्यादाओं में रहकर। यह नैतिकता है कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम की शारीरिक अभिव्यक्ति को हम बिना कहे नकार दें।

मेट्रो में बेअदबी

मेट्रो में बेअदबी भी खूब होती है। सामान्यतः मेट्रो के यात्री सुशिक्षित नौकरी पेशा करने वाले या व्यापारी होते हैं। वे भी बहुत बार बड़ी बेअदबी करते हैं। युवा लोग वरिष्ठ नागरिकों की आरक्षित सीटों पर बैठ जाते हैं। वरिष्ठ नागरिक आता है और याचक की तरह उनकी ओर देखता है। अब उन युवाओं को नींद आ जाती है अथवा वे इतने बेशर्म हो जाते हैं कि बिना कहे उठते ही नहीं। कई बार उठते हुए ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे एहसान कर रहे हों अथवा उनकी बेबसी है वरना.... ! कई बार जैसे वे न चाहकर उठ रहे हैं.......!

एक बेअदबी लिफ्ट पर होती है। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आकर रूकती है, उतर कर लोग लिफ्ट की ओर भागते हैं। लिफ्ट वरिष्ठ नागरिकों, रोगियों तथा दिव्यांगजनों के लिए है लेकिन चुस्त–दुरस्त नौजवान उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने का मौका ही नहीं देते। वे शारीरिक बल के आधार पर तेजी से दौड़कर लिफ्ट में घुस जाते हैं और हकदार यात्री बाहर ही रह जाते हैं। लिफ्ट ओवर लोड होने की स्थिति में अच्छे–भले यात्री चिल्लाते हैं ; उतरो, भाई! ओवर लोड हो गई। इसे बार–बार दोहराते हैं। नौजवान इतने बशर्म हैं कि मुंह छुपाए खड़े रहते हैं, आखिरकार हकदार यात्री ही उतर जाते हैं। ऐसा कई बार होते देखा तो मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। आज मैं महीने भर बाद लिफ्ट में चढ़ा। वही स्थिति बनी, अंततः एक वरिष्ठ महिला नागरिक लिफ्ट से उतर गई। अब तक भी उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम रहा है।

मेट्रो और मोबाइल एक फैशन भी है,स्टेटस सिंबल भी है और बेअदबी भी। सीटों पर बैठकर, स्टेशन में खड़े होकर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो कोई बात नहीं, अच्छा है लेकिन मेट्रो में चढ़ते–उतरते, सीढ़ियों पर चढ़ते–उतरते यात्री मोबाइल फोन का प्रयोग करते रहते हैं। पीछे–पीछे चलने वाला यात्री उसके हटने या गति बढ़ाने का इंतजार करता है लेकिन अग्रवर्ती यात्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक बार एक वरिष्ठ नागरिक ने टोक दिया तो जवाब मिला, 'आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं जो चाहे करुं'। ज्यादातर युवा यात्री संवेदनहीन हैं। यह मेट्रो के साथ–साथ नई पीढ़ी की भी एक तस्वीर है।

जगमगाती जीत

विष्णु गुप्ता
कनिष्ठ अभियंता
एनएचपीसी,
धौलीगंगा पॉवर स्टेशन।

बिजली की ऊर्जा अद्भुत जैसे एक नई उम्मीद,
जगमगाते दिल जिससे जीवन की वो बड़ी जीत!

अंधकार के अंदेशों से लड़ने का बड़ा हौसला,
जिम्मेदार इन्सानों ने साधी है एक बड़ी सीख!

रोशनी की पहचान देकर बिखेरती राहों में राहत,
उत्साह की प्रेरणा से पल्लवित प्रेरक यह मीत!

आशियानों के ठिठुरते दीपों को एक किरण समान,
टिमटिमाते सिलसिलों पर बिजली ऊर्जा की रीत!

कब तक बुझे–बुझे बैठ नोचेंगे मन ही मन टीस,
पूछ रही बिजली गा–गाकर रोशनियों के गीत!

हर दिन ही जैसे नयी उम्मीदों का बेहद मुरीद,
बिजली की ऊर्जा जगमगाते दिलों की बड़ी जीत!

जल तत्व

रामजीत सिंह
अपर निदेशक,
सीपीआरआई।

ओस की शबनमी बूंदों में, प्रातः खिले पुष्प की पंखुडियों पे राजित,
शीतल, नर्म अहसास की तरह तुम आसमां की गोद से जमी पर उतर आते हो।
सर्द मौसम में तुम श्वेत चादर की तरह बिछ जाते हो जमी पर,
पाँव ठिठक जाते हैं, कहीं फिसल न जाएँ ये कदम चांदनी सा रूप है जो तेरा,
हिमालय की गोद में मुकुट सा आच्छादित द्रवित हो गंगा की जलधार बन,
पर्वतों की बाहों में, घाटियों, खेतों खलिहानों से गुजरती नदियों की धारा संग,
मुस्कराते हुए पल दो पल जलाशयों पर ठहर फिर आगे बढ़ जाते हो सागर मिलन की राह में,
बूंद अस्तित्व का सागर सा बन जाता है, प्यास, तपन, अग्नि का शमन जो तुमने किया है,
ये पेड़, ये पंछी, ये जीवन, ये वन, ये उपवन खिलखिलाया है तेरे कदमों कि आहट पर !!
ये नादाँ तुम बिन स्वयं से जलते थे, मानो जल बिन ही जलना सीखा है, पर
जो समझदार थे तेरा संचय करना सीखा कुम्भ की तरह अन्दर भी बाहर भी !!

तुम कितने सौम्य हो , उन प्यासे होठों से पूछो, प्यासे पंछी सूखे पत्तों से पूछो,
तुम्हारी सौम्यता का लोहा पर्वतों ने माना है , सौम्यता कमजोरी नहीं उन्होंने भी जाना है।
शिलाओं पर अंकित राह जो तुमने बनायी, तुम्हारे पौरुष की गाथा , नदियों ने भी गायी,
तुम्हारी शक्तियों को नमन हमने किया है, राह जल धार को रोक ऊर्जा का निर्माण किया है,
उष्म सागर की लहर पर , उर्मि – लहरें रोककर, ले संग पवन का नव ऊर्जा का रूप दिया है,
जल जीवन तत्व है , सदियों से ऋषियों ने माना है, ज्ञान अरु विज्ञान ने प्रतिपादन किया है,
जल – ऑक्सीजन के बिना : हाइड्रोजन, ऊर्जा जलन का रूप है, शक्ति का भण्डार है,
जल मान है, सम्मान है हमारा, जल अर्पण है, समर्पण है, जल शीश है, आशीष है।

आओ.. जल के बारे में उसके महत्व को समझें!
संत कबीर उद्धृत.....
"जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी;
ये तत्व जो समझ सके समझो उसको ज्ञानी"।

शक्ति का प्रतिरूप : नारी

''शुभम गौड'
सहायक प्रबंधक (सुरक्षा)
लुहरी जल विद्युत परियोजना, एसजेवीएनएल।

रसोई और बिस्तर की गणित से परे,
स्वयं के लिए जीवन में जो कुछ ना करे
जिसके जीवन का उद्देश्य होता है केवल परहित करना....
अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से घर को रोशन करना ।
स्वयं की इच्छाओं को त्याग कर शायद वह प्रतिदिन विष का पान करती है,
सामाजिक रीतियों की ज्वाला में वह नारी प्रतिदिन जलती है ।
कभी पिता ,कभी भाई ,कभी पति के कहने पर चलती है,
निजी संघर्षों में लेकिन जो अपने आप संभलती है ।
जिसकी उड़ान बस घर की चौखट तक ही सीमित है,
चकित हूं मैं ! कि आज भी मानव बौराहा और भ्रमित है ।
कहते हैं कुछ ज्ञानी जन कि, शक्ति का रूप तो नारी है ....
फिर क्यों आज भी कलयुग में नर नारी के ऊपर भारी है ।

कोमल है कमजोर नहीं है,
शक्ति के रूप में नारी है,
तेरी ममता के सागर में
डूबी ये दुनिया सारी है,
तू जग को जीवन देती है
हां! मौत भी तुझसे हारी है,
ना खुद को यूं तू हीन समझ
अभिमान से कह तू नारी है
तू नारी है।

गर्मी में बिजली रानी

मनीष कुमार,
क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला,
केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, कोलकाता।

बिजली रानी! बिजली रानी!
क्यों करती हो अपनी मनमानी,
एक बार क्या चली गई,
फिर आने में बस आनाकानी।

कहाँ गई यह नहीं बताती,
अपने मन से आती जाती,
छुपन–छुपाई के इस खेल में,
हमसे करती हाथापाई।

बरखा आने से पहले,
चली जाती हो अपनी घर को,
मेरे घर में फिर आने को,
करती हो सौ–सौ फूटानी (नखरे)।

तुम जो चली जाती हो,
मन मचल सा जाता है,
तुम्हारी राह बटोहने में,
सारा दिन गुजर जाता है।

तुम आती हो पल भर के लिए,
झलक दिखला के जाती हो,
क्षण–भर की खुशी दिला के,
फिर अपनी घर चली जाती हो।

देखो! कितना बुरा हाल है,
इस झुलसती गर्मी के मारे,
हुआ पसीने से लथ–पथ मैं,
भींग गए हैं कपड़े सारे।

दिन पर दिन रिकॉर्ड बनाती इस तपस में,
तुम्हारा ही एक सहारा है,
एसी, कूलर फ्रिज के सहारे,
जीवन कट रहा हमारा है।

बिजली रानी! बिजली रानी!
तुमसे है एक बात मनवानी,
इस चिलचिलाती गर्मी में,
ना कर तू अपनी मनमानी।

पत्थर दिल ईंसान

किशोर कुमार सोलंकी,
वरि0 कार्यपालक सचिव
हिन्दी नोडल अधिकारी,
पावरग्रिड, आगरा।

नई सदी से मिल रही, दर्द भरी सौगात,
बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात।
पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज,
कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज।
भाई भी करता न हीं, भाई पर विश्वास,
बहन पराई हो गई, साली खास मखास।
मंदिर में पूजा करें, घर में करे कलेश,
बापू तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश।
बचे कहाँ अब शेष है, दया, धरम, ईमान,
पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान।
पत्थर के भगवान को, लगते छप्पन भोग,
मर जाते फुटपाथ पर, भूख, प्यासे लोग।
पहन मुखौटा धरम का, करते दिन भर पाप,
भंडारे करते फिरें, घर में भूखा बाप।

मैं भ्रष्टाचार हूँ

अनुराग सोनकर
उप प्रबंधक (एमएस आईटी–इंफ्रा)
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

जी हाँ ! मैं भ्रष्टाचार हूँ!
मैं आज का वक्त हूँ।
कलयुग के इंसानो में बहता हुआ रक्त हूँ,
वैसे रंग में तो मैं हूँ काला,
रुपया, पैसा, सोना, चांदी के रूप में
सबके मुँह पर लगा ताला ,
पर हर रंग का मैं ओढ़े हुए शाल हूँ।
या यूँ कहो मैं फैला हुआ काल हूँ।
बेईमानों की जेब में पड़ा व्यापार हूँ,
ईमानदारी से मैं दो–चार हूँ।
जी हाँ ! मैं भ्रष्टाचार हूँ।
थोक में बिकता जैसे राशन की दुकान का अनाज हूँ,
कदापि भूखा ना मरूं, ऐसा मैं शहनाज हूँ।
वैसे तो लोग मुझे "रिश्वत" कहते हैं,
पर हर रिश्ते की बस "कीमत" का मोहताज हूँ।
ऊँचे लोगों का मैं यार हूँ,
एक नहीं मैं सौ बार हूँ,
जी हाँ ! मैं भ्रष्टाचार हूँ!
काला, सफेद, खाकी की सलवार हूँ,
नेताओं की पतवार हूँ,
वैसे तो हर वर्ग की जोर रफ्तार हूँ,
पर हर रफ्तार में मैं ही आखिरी वार हूँ,
लोगों के मन का खुला रोजगार हूँ।
मैं ही सदाबहार हूँ,
जी हाँ! मैं भ्रष्टाचार हूँ।

जी हाँ! मैं भ्रष्टाचार हूँ।

अंग्रेजी शब्दावली एवं नेमी टिप्पणी

पारिभाषिक शब्दावली

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
Appendix	परिशिष्ट	Gradation list	पदक्रम सूची
Break-up	विवरण	Henceforth	आगे से/अब से
Cadre	संवर्ग	Nevertheless	तथापि
Press communique	प्रेस विज्ञप्ति	Inter-alia	अन्य बातों के साथ–साथ
Consequent events	अनुवर्ती घटनाएं	Annexure	अनुबंध
Customary law	प्रथागत विधि	Enclosure	संलग्नक
Enrolment	नामांकन	Gross negligence	भारी लापरवाही
Expedient	समीचीन	Bottleneck	बाधा/अड़चन
Favourable attitude	अनुकूल रुख	Misconduct	कदाचार

कार्यालयीन टिप्पणियां

Above said	उपर्युक्त
Acceptable proposal	स्वीकार्य प्रस्ताव
According to convenience	सुविधानुसार
Acknowledgement of receipt	पावती
Act of misconduct	कदाचार
Action may be taken as proposed	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए
Acts of commission and omission	कृताकृत
As a rule	नियमतः
As far as permissible	जहां तक अनुज्ञेय हो
As far as possible	यथासंभव
As far as practicable	यथासाध्य
As is where is	जैसा है, जहां है
Approved	अनुमोदित
As amended	यथा संशोधित
As discussed	चर्चानुसार/चर्चा के अनुसार
Concurred in	सहमति प्रदान की जाती है
Delegation of powers	शक्तियों का प्रत्यायोजन
Discrepancy may be reconciled	विसंगति का समाधान कर लिया जाए
Expedite action	शीघ्र कार्रवाई करें
Give top priority to this work	इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें
Keep in abeyance	इसे मुल्तवी/स्थगित रखा जाएं
Lowest quotations may be accepted	न्यूनतम दरें स्वीकार की जाए
Retrospective/prospective effect	पिछली तारीख/अगली तारीख से प्रभावी
Secretary need not be troubled	इसे सचिव महोदय के पास/को भेजना जरूरी नहीं है
What delays?	विलंब/देरी के क्या कारण हैं?
Communication of leave into -----	छुट्टी का .... में परिवर्तन

हिंदी भाषा ज्ञान समृद्धि

'आँख' पर मुहावरे

आँखें खुलना	(होश आना, सावधान होना) – जनजागरण से हमारे शासकों की आँखें अब खुलने लगी हैं।
आँखें मूंदना	(मर जाना) – आज सबेरे उसके पिता ने आँखें मूंद लीं।
आँखें चुराना	(नजर बचाना, अपने को छिपाना) – मुझे देखते ही वह आँखें चुराने लगा।
आँखों में खून उतरना	(अधिक क्रोध करना) – बेटे के कुकर्म की बात सुनकर पिता की आँखों में खून उतर आया।
आँखों में गड़ना	(किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा) – उसकी कलम मेरी आँखों में गड़ गयी है।
आँखें फेर लेना	(उदासीन हो जाना) – मतलब निकल जाने के बाद उसने मेरी ओर से बिल्कुल आँखें फेर ली है।
आँख मारना	(इशारा करना) – उसने आँख मारकर मुझे बुलाया।
आँखें बिछाना	(प्रेम से स्वागत करना) – मैंने उसके लिए अपनी आँखें बिछा दीं।
आँखों का कांटा होना	(शत्रु होना) – वह मेरी आँखों का कांटा हो रहा है।
आँखों का तारा होना	(बहुत प्यारा) – बिल्लु अपनी मां के आँखों का तारा है।

लोकोक्तियां (कहावतें)

अधजल गगरी छलकत जाए	डींग मारना
आँख के अंधे गांठ के पूरे	मूर्ख धनवान
आगे नाथ न पीछे पगहा	किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना
आम के आम, गुठलियों के दाम	अधिक लाभ
ऊंची दुकान फीके पकवान	केवल बाह्य प्रदर्शन
एक पंथ दो काज	एक काम से दूसरा काम हो जाना
चिराग तले अंधेरा	अपनी बुराई नहीं दिखना
जिन ढूंढ़ा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ	परिश्रम का फल अवश्य मिलता है
होनहार बिरवान के होत चीकने पात	होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं

श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अंस	कन्धा	**चिता**	शव जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर	**परीक्षा**	इम्तहान
अंश	हिस्सा	**चीता**	बाघ की तरह एक जानवर	**परिक्षा**	कीचड़
अनिल	हवा	**द्रव**	रस	**शीशा**	कांच
अनल	आग	**द्रव्य**	पदार्थ, धन	**सीसा**	एक धातु
आरति	विरक्ति	**निहत**	मरा हुआ	**शुल्क**	फीस, चन्दा
आरती	धूप–दीप दिखाना	**निहित**	छिपा हुआ	**शुक्ल**	स्वच्छ, उज्ज्वल
कोष	खजाना	**नीर**	जल	**हरि**	विष्णु
कोश	शब्द संग्रह (डिक्शनरी)	**नीड़**	घोंसला	**हरी**	हरे रंग की

विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण

पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

आईसी मुख्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा

पावरग्रिड, पुहाना, रुड़की, उत्तराखण्ड

पावरग्रिड, बल्लभगढ़ उपकेन्द्र, हरियाणा

विद्युत मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

विद्युत मंत्रालय एवं पीएसयू की गतिविधियां

विद्युत मंत्रालय की 17 अगस्त, 2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में आरईसी लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार

आरईसी निगम कार्यालय में हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा का निरीक्षण

खुर्जा एसटीपीपी में कवि सम्मेलन का आयोजन

नराकास के समन्वयकर्ता सम्मेलनों का आयोजन

नराकास राजभाषा वैजयंती शील्ड वर्ष 2022–23 (29.01.2024)

विद्युत मंत्रालय द्वारा योग दिवस का आयोजन

एनटीपीसी लिमिटेड का सर्वप्रथम ताप विद्युत संयंत्र – सिंगरौली, सुपर थर्मल पावर स्टेशन (उत्तर प्रदेश)

वाणी के डिक्टेटर - कबीर

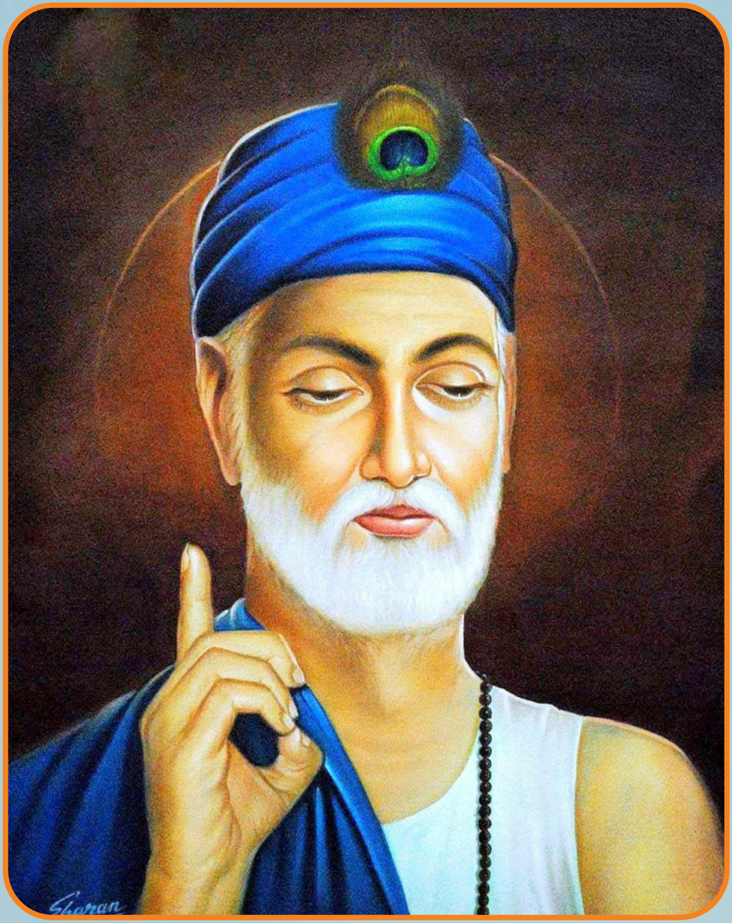

''भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया–बन गया तो सीधे–सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर के सामने भाषा कुछ लाचार–सी नजर आती है।''

–डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी